राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 80 वां दिवस [संख्या 39

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.5 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा, सामान्य प्रशासन, गृह, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, यातायात व चुनाव विभाग)।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

अलवर जिले के अस्पतालों में दवाइयां आदि सामान की खरीद

956. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सन् 1963-64 व 1964-65 के चिकित्सा के बजट से अलवर जिले के अस्पतालों के लिए कोई दवाइयां व अन्य सामान नहीं खरीदा गया? यदि हां तो इसके क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर शहर के अस्पतालों के लिए सन 1964 में कुछ अर्से के लिए बीमारों के लिए दूध नहीं खरीदा गया ? यदि हां तो, कितने अरसे के लिए ?

(3) क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग के संचालक ने जांच करके दवा व दूध न खरीदने की शिकायत को सही पाया और उन्होंने राजस्थान सरकार को इस बात की शिकायत की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री-चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह): (1) जी नहीं। अलवर जिले के अस्पतालों के लिए 1963-64 व 1964 65 में निम्न लिखित बजट स्वीकृत है एवं खरीदी हुई दवाइयों की धनराशि का व्यौरा निम्न लिखित है :

सन्	दवाइयों की दी गई धनराशि	दवाइयां जो खरीदी गई
1963-64	1,71,500	1,40,747
1964-65	2,10,100	1,65,387

(राव श्री धीरसिंह)

(2) जी हां। इसका कारण यह था कि टेन्डर नियमानुसार प्राप्त नहीं हुए थे अतः 1.7.64 से दूध उन बीमारों के लिए बाजार से खरीदा जाता था जिनको इसकी नितांत आवश्यकता थी।

(3) जी नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूध बाजार से खरीदा गया या अन्य व्यवस्था की गई ?

राव श्री धीरसिंह : टेन्डर से प्राप्त करना था लेकिन नियमानुसार नहीं थे। इसलिए जून 1967 से दूध बाजार से 5,530 रु. का खरीदा गया। जून से दिसम्बर तक का यह टोटल खर्चा हुआ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 6 महिने तक मरीजों को दूध सप्लाई नहीं किया गया तो क्या डाइट दी गई ?

राव श्री धीरसिंह : मैंने निवेदन किया कि जिन बीमारों को दूध जरूरी था 5,530 रु का दूध टेन्डर पर बाजार से खरीदा गया। जिनको आवश्यकता थी उनको दिया गया, चिल्ड्रन टी. बी. पेशेन्ट्स मेटेरनिटी केसेज को पाउडर मिल्क दिया गया। इस पीरियड में टेन्डर प्राप्त नहीं हो सके तो बाजार से दूध खरीद कर दिया गया और टी. बी. पेशेन्टस चिल्ड्रन और मेटरनिटी केमेज में पाउडर मिल्क दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डाइरेक्टर से आपने इसकी जांच की है ?

राव श्री धीरसिंह : डी. एम. एच. ओ. अलवर ने लिख कर भेजा है 19.6.64 तक टेन्डर नहीं दिया उसके बाद एक टेन्डर आया दिसम्बर में नियमानुसार टेन्डर आये 79 पैसे का यह लोएस्ट था। इस कोरेस्पोन्डेन्स में यह समय निकला। बाजार से इस समय के बीच 5.530) का खरीदा गया और मेटरनिटी, चिल्ड्रन और टी बी पेशेन्ट्स को पाउडर मिल्क दिया गया। उसके बाद नियमित सप्लाई शुरू हो गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो साल तक दवाइयां नहीं खरीदी गईं, आप फिर जांच करा लीजिये। निश्चित बात कह रहा हूं।

राव श्री धीरसिंह : 63-64 में दवाइयां खरीदी गई। मेरी सूचना के अनुसार बता दिया। आपकी सूचना हो वह बता दें मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 957

श्री भगव नदास शास्त्री

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द कटेवा

ग्राम ओजट थाना चिड़ावा में पकड़ा गया चावल

958. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No. 3

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(1) क्या ग्राजटू ग्राम, थाना चिडावा जिला झूंझुनू में चिडावा पुलिस द्वारा कोई चावल पकड़ा गया ?

(2) अगर हां, तो कितनी बोरी और किस तारीख को ?

(3) क्या चावल पकड़ा जाने के बाद उसी दिन इस घटना के तुरन्त बाद झुंझुनू के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस थाना चिडावा में ग्राए ?

(4) क्या उन्होंने इन चावलों को छोड़ देने का ग्रादेश इन्चार्ज थाना को दिया ग्रौर वे चावल छोड़ दिये गये ?

(5) क्या यह सच है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, उस दिन झुंझुनू से सीधे चिडावा ग्राए ग्रौर वापिस चिडावा से तत्काल ही झुंझुनू चले गये ?

(6) क्या यह सच है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस झुंझुनू ने उस दिन सिवाय चावल छोड़ने के ग्रादेश देने के थाने में किसी कार्य का न ही निरीक्षण किया ग्रौर न ही ग्रन्य कार्य ही किया ?

(7) क्या यह सच है कि चावलों के मालिक ने जहां से चावल ग्राना बताया वहां जांच के बिना ही ग्रौर इस बात के तस्दीक किये बिना ही कि उसके पास जो बिल है वो सही है या फर्जी है, चावलों को छोड़ दिया गया ?

(8) क्या यह सच है कि इस प्रकार के पकड़े हुए माल को सिर्फ ग्रदालत में ही पेश किया जाता है, उसे छोड़ने का डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को कोई ग्रधिकार नहीं है ?

(9) ग्रगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस विषय में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, झुंझुनू के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

गृहमन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) जी हां।

(2) तारीख 14. 1. 66 को 47 बोरी चावल मिली थी।

(3) जी हां, उस दिन उप ग्रधीक्षक झुंझुनू पिलानी से झुंझुनू जाते हुए थाना चिड़ावा रास्ते में पड़ने से थाने में रुके थे।

(4) जी नहीं, उप ग्रधीक्षक झुंझुनू ने थानेदार चिड़ावा को यह ग्रादेश दिया था कि फर्म का सारा रिकार्ड चैक करें ग्रौर चैकिंग के परिणाम स्वरूप कानूनी कार्यवाही करें।

(5) जी नहीं. उप ग्रधीक्षक झुंझुनू ता 12. 1. 66 को राजकीय कार्य से पिलानी गए थे ग्रौर तारीख 14. 1. 66 को पिलानी से झुंझुनू लौट रहे थे। रास्ते में चिड़ावा ग्राने से थाना चिड़ावा में उप ग्रधीक्षक रुके थे।

(6) उन्होंने चावल छोड़ने के ग्रादेश नहीं दिये थे। थाने में उन्होंने उस रोज कोई कार्य नहीं किया था किन्तु एस. एच.

Page No. 4

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ग्रो. को फर्म का रिकार्ड चैक कर उसके अनुसार कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया था।

(7) केवल रिकार्ड मालिक फर्म व रसीदात सैल टैक्स से जांच कर चावल फर्म का होना एवं कोई अपराध नहीं बनाना मानकर एस. एच. ग्रो. ने चावल जब्त नहीं किये।

(8) जी नहीं।

(9) उप-अधीक्षक पुलिस झुंझनू ने इस मामले में विस्तृत जांच नहीं करवाई। अतः उनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह।

आमेर का किला

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या पुरातत्व विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आमेर का किला पुरातत्व विभाग के अधीन कब से आया है ?

(2) आमेर के किले की साफ सफाई के लिए कितने फर्राश हैं ?

(3) एक साल में टिकटों से कितनी आय होती है ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(1) किला विभाग के अधीन नहीं है।

(2) सवाल पैदा नहीं होता।

(3) सवाल पैदा नहीं होता।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या कारण है कि इतने महत्वपूर्ण पुराने किले को आर्कोलोजीकल डिपार्टमेंट ने अपने आधीन में नहीं लिया ?

राव श्री धीरसिंह : जो किला है वह एच. एच. की पर्सनल प्रोपर्टी है कोवीनेंट के मुताबिक। जो पेलेसेज हैं नीचे के वे पुरातत्व विभाग के आधीन हैं और उनके बारे में अगर आप जानकारी चाहें तो मैं आपको दे सकता हूं। वहां पर चार फर्राश रखे हुए हैं और टिकटों से जो रुपया आया है वह है 31, 270) रु0 जो अब तक वसूल हुआ है। यह जो नीचे का हिस्सा है उसके बारे में सूचना है, बाकी जो जयगढ़ किला है वह एच. एच. की पर्सनल प्रोपर्टी है।

श्री केसरीसिंह : मेरा तात्पर्य जयगढ़ से नहीं आमेर के किले से है ?

राव श्री धीरसिंह : आमेर के किले के दो पार्ट है। एक तो नीचे के पेलेसेज हैं और दूसरा ऊपर का जयगढ़ का किला है। पैलेसेज का पुरातत्व विभाग मैनेजमेंट करता है और वहां पर टिकटों से जो पैसा इकट्ठा हुआ है वह मैंने आपको बता दिया है। जयगढ़ का किला जो कि आमेर में ही है वह एच. एच. की पर्सनल प्रोपर्टी है।

श्री केसरीसिंह हाडा : मैं भी आमेर के नीचे के किले के बारे में ही पूछ रहा हूं। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यह किला इतना मरम्मत तलब होता जा रहा है कि अगर उसकी पूर्णतया मरम्मत नहीं कराई जायेगी तो ऐतिहासिक काल का यह किला एक रोज खण्डर हो जायेगा।

राव श्री धीरसिंह : जयगढ के किले के बारे में कह रहे हैं ?

श्री केसरीसिंह हाडा : जयगढ़ का तो कोई मतलब ही नहीं है।

राव श्री धीरसिंह : आमेर के दो हिस्से हैं और जो पैलेसेज का हिस्सा है वह पुरातत्व विभाग के आधीन है और वहां की सफाई वगैरह होती है और मरम्मत वगैरह की जो भी जरूरत होती है वह कराई जाती है अब कोई खास बात आप कहना चाहें तो बता दें मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री केसरीसिंह हाडा : सफाई वगैरह तो होती है लेकिन वहां की मरम्मत की जरूरत है जो अवश्य होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(प्रश्न सं० 960)

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान चले गये व्यक्ति

961. **श्री भैरोंसिंह** : (किशनपोल, जयपुर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1965 में भारत-पाक संघर्ष के समय सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर व जैसलमेर के जो नागरिक पाकिस्तान चले गये थे, उनमें से कितने और कौन कौन नागरिक कब कब वापिस हिन्दुस्तान में आ गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

गृह मन्त्री : (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) सन् 1965 में भारत पाक संघर्ष के समय सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर और जेसलमेर से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये थे उनमें से 57 वापिस आये। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ये लोग वापिस कब कब आये, सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये अवैध रूप से आये हैं।

(2) भारत सुरक्षा नियमावली 1962 के नियम 25 (ए) के तहत कार्यवाही की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरों सिंह : क्या यह सही है कि जो व्यक्ति सन् 1965 में पाकिस्तान चले गये थे उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : धारा 25-(ए) डिफेंस ग्राफ इण्डिया रूल्स के तहत जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंक्शन न ले लें तब तक भारत में नहीं ग्रा सकते...

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल तो नागरिकता का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी नागरिकता इन्डियन सिटीजन एक्ट के मातहत भारत की नागरिकता समाप्त कर दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके सिवाय कोई कानून नहीं बना है, दफा 25-ए ही है सिर्फ।

श्री भैरों सिंह : यह तो इस बात के लिए है कि जो लोग पाकिस्तान चले गये हैं वे चीफ सेक्रेट्री या चीफ सेक्रेट्री के द्वारा डेलीगेटेड पावर्स के तहत किसी ग्रधिकारी की इजाजत के बिना यहां पर नहीं ग्रा सकते। मेरा प्रश्न यह है कि सिटिजन एक्ट के मातहत क्या उनकी नागरिकता समाप्त कर दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें सिटिजन एक्ट के मातहत एक्शन लेने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो लोगयहां से चले गये वे यहां पर वापिस बगैर परमिशन के नहीं ग्रा सकते इसीलिए कि कन्फ्लिक्ट के दौरान उन्होने ग्रपनी लायल्टी बिट्रे कर दी इस देश के प्रति।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : तो फिर ग्रापने उनकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो लोग पाकिस्तान चले गये हैं वे ग्रभी भी भारत के नागरिक हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : इस रूल 25-ए के तहत जो लोग यहां पर ग्राए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है....

श्री भैरोंसिंह : मेरा पाइन्ट यह है कि जो लोग पाकिस्तान चले गये हैं, क्या यह सही है कि वे ग्रभी भारत के नागरिक हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह ग्रलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल (ग्रलवर) : क्या यह सही है......

श्री भैरोंसिंह : क्या ग्राप यह बता सकते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से ग्रा गये हैं 57 व्यक्ति, इन सब लोगों को गिरफ्तार करके प्रोसीक्यूशन किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो 57 ग्रादमी यहां पर ग्रा गये हैं उनके खिलाफ रूल 25-ए के तहत कार्यवाही की जा रही है।

Page No. 7

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनको गिरफ्तार करके प्रोसीक्यूशन किया है या नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके खिलाफ अदालत के अन्दर चालान दायर कर दिए गये हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनके खिलाफ कार्यवाही तो आप रूल 25-ए के तहत कर रहे हैं वह तो अगर आप नहीं भी बतायें तो भी हमने पढ़ लिया है। आप तो यह बताइए कि आपने ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से वापिस हिन्दुस्तान में आ गये हैं, उनको गिरफ्तार करके उनका प्रोसीक्यूशन किया या नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जो सूची मैंने आपको दी है, उनके सामने लिखा हुआ है कि कार्यवाही की जा रही है, कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन है, इसको सजादी गई है, यह सब हरएक के सामने लिखा हुआ है।

श्री भीमसेन : जब उनकी भारत की नागरिकता रद्द नहीं की तो क्या उन्हें भारत आने से रोक सकते हैं ? मेरे खयाल से उनको नहीं रोक सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, आप रूल 25-ए को पढ़ लीजिए, उसमें ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

कालेजों में रात्रि कक्षाएं

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में कुछ स्थानों पर कालेजों में रात्रि कक्षाएं चलती है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(2) रात्रि कक्षाएं चालू करने में क्या सरकार को कोई आपत्ति है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि रात्रि कक्षाओं से वे लोग भी लाभ उठा सकते हैं जो दिन में दूसरा धन्धा करते हैं और इसलिए ऐसे लोगों की तरफ से जगह जगह रात्रि कक्षाएं खोलने की मांगे सरकार के पास आई हैं ?

(4) क्या राजर्षि कालेज, अलवर में रात्रि कक्षाएं चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने आया था ? यदि हां, तो सरकार ने उसके बारे में क्या निर्णय लिया ?

(5) क्या सरकार राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कालेज की रात्रि कक्षाएं चालू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप मंत्री शिक्षा : (राव श्री धीर सिंह) : (1) जी हां। गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर।

(2) यदि राजकीय अनुदान सम्बन्धी कोई मांग न हो और विश्वविद्यालय की

(राव श्री धीरसिंह)

अनुमति हो तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने अभी कहा कि यदि इस प्रकार की बात आए तो हमें आपत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार की मांग आपके पास अलवर से आई है तो क्या राजस्थान सरकार राजर्षि कालेज में रात्रि कक्षाएं चालू करने का प्रावधान करेगी ?

राव श्री धीरसिंह : बीकानेर, गंगानगर, उदयपुर और जयपुर में प्राइवेट संस्थायें जैसे भारत सेवक समाज आदि संस्थायें हैं जो अपने खर्चे पर मास्टर रख कर काम चलाती हैं, सिर्फ बिल्डिंग्स राजकीय कालेजों की काम में लेते हैं और अगर आपके पास में इतने साधन हों कि अपने मास्टर रख सकें और दूसरे खर्चे कर सकें तो बिल्डिंग देने में सरकार को कोई एतराज नहीं होगा। अगर आप ऐसा करने के लिए प्रस्ताव भेजें तो उस पर सरकार विचार कर सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अध्यापक रखने के लिए भी राज्य सरकार सब्सीडी देती है ?

राव श्री धीरसिंह : अगर राज्य सरकार के पास धनाभाव न हो तो सब्सीडी भी दे सकती है। फिलहाल जो कन्डीशन्स हैं, अभी इस ईयर की फाइनेंशियल कन्डीशन्स ऐसी नहीं हैं कि जिसमें कुछ दे सकें। सिर्फ बिल्डिंग की इजाजत दे सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन चारों स्थानों पर जो इस समय क्लासेज चल रही हैं इनको आप सब्सीडी दे रहे हैं या नहीं ?

राव श्री धीरसिंह : अभी कोई सब्सीडी नहीं दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी सब्सीडी नहीं दे रहे हैं ?

राव श्री धीरसिंह : नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को अपने गवर्नमेंट कालेज में इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने में क्या आपत्ति है ? सरकार खुद क्यों नहीं इसकी व्यवस्था करती ?

राव श्री धीरसिंह : धन की कमी की वजह से ही नहीं कर पाते हैं। आप व्यवस्था कर सकें तो बिल्डिंग को यूटिलाईज करने की इजाजत दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मण टांनीवाल।

भवानी मन्डी-डग सड़क की मरम्मत

963. **श्री लक्ष्मण टानिवाल** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की

(श्री लक्ष्मण टांनिवाल)

कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भवानी मण्डी से डग तक जाने वाली सड़क टूटी हुई है ? अगर हां, तो कितने मील ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क को ठीक करवाने का ठेका दिया हुआ है ? अगर हां, तो किसको व कितने क्षेत्र का ठेका कितनी राशि में व कब दिया गया ?

(3) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (1) जी नहीं, कुछ मीलों में रिन्यूअल की आवश्यकता है ।

(2) जी हां, निम्न ठेके दिये गये हैं:-

नाम ठेकेदार	मील सं०	रकम	ठेका ता०ठेका
श्री नरेशचन्द्र	31-32	26598	14-12-64
श्री शम्भूदान	34	11491	6- 1-66
श्री नरेशचद्र	35-36	27526	10-12-64
श्री भंवरलाल	50	9846	15-12-65

(3) मील 35-36 का कार्य पूरा हो गया है आशा है बाकी उक्त मीलों का काम मार्च 68 तक पूरा हो जायगा ।

श्री लक्ष्मण टांनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सड़क के बनने पर और इस पर बनने वाले पुलों के बारे में प्रश्न पूछा था । मुझे मालूम है कि इस पर लगभग 14 लाख रुपया मंजूर हुआ था और 14 लाख रुपये में से 13 लाख 61 हजार रुपया खर्च कर दिया गया है । शेष बचे हुए रुपये में से क्या सड़क की पूरी कार्यवाही हो जायेगी और केवल इसके नाम पर पुल के नाम पर केवल एक पुल बना है और जो सड़क बनी है वह भी कई जगह से टूट फूट गई है और आए दिन बरसात के अन्दर ट्रैफिक रुक जाता है और आप इसे 'ए' क्लास रूट घोषित करके रुपया वसूल कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी उत्तर दें ।

श्री लक्ष्मण टानीवाल : क्या आप इसकी जांच करवाकर इसको बनाने और पुलियों का निर्माण भलीभांति सरकार करवायेगी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह सड़क जल्दी से जल्दी जैसा कि मैंने आप से कहा ठीक कर दी जायगी और इसकी मरम्मत कर दी जायगी, तथा बना दी जायगी, और पुलियों का जहां तक मामला है उसका भी प्रोग्राम ऐसा रखा जायगा कि सही माने में वे बन सकें और वक्त पर पूरी हो सकें ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : भवानीमंडी से डग की सड़क कुल कितने मील लम्बी है ? उसके लिए सरकार ने जो ठेका दिया है वह कितने मील का दिया है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : 37 मील लम्बी सड़क है और उसका जो ठेका हुआ है वह 6 मील का हुआ है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस सड़क के लिए सरकार ने 14 लाख की धनराशि की स्वीकृति दी है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: ऐसा नहीं है।

श्री लक्ष्मण टाम्पीवाल : पी डब्लयू. डी. में मैंने देखा है और मुझे यह बतलाया गया है कि इसको 14 लाख की मन्जूरी हुई है और 13 61 000) रु० उन्होंने इस पर खर्च कर दिये हैं।

प्रश्न संख्या 964

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री फतेह सिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

ग्राम चीतलवाना, अरणाय व सरणाऊ में माध्यमिक पाठशालाएं।

965. **श्री रघुनाथ विश्नोई** : (सांचोर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम चीतलवाना। अरणाय व सरणाऊ (तहसील सांचोर) में अभी तक माध्यमिक पाठशाला नहीं खोली गई है ? अगर हां, तो इन गांवों में माध्यमिक पाठशाला खोलने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम सरणाऊ में इस वर्ष माध्यमिक पाठशाला के लिए ग्रामवासियों ने भवन निर्माण किया है ? क्या यह भी सत्य है कि वह ग्राम काफी बड़ा है और आसपास काफी प्राथमिक पाठशालाएं हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार इस वर्ष यहां पर माध्यमिक पाठशाला खोलना उपयुक्त समझेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (1) जी नहीं। धनाभाव के कारण चालू वर्ष में माध्यमिक शाला खोलना सम्भव नहीं है।

(2) राज्य सरकार के पास भवन-निर्माण सम्बन्धी कोई सूचना नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी जिला परिषद का प्रस्ताव है, मैंने प्रश्न पूछा है। आपने जानकारी की है कि इस जगह पर 7 कमरे मौजूद हैं और इतने लड़के हैं और वह पिछड़ा हुआ एरिया है, उस के हिसाब से कन्सीडर करेंगे।

राव श्री धीरसिंह : प्रावधान रखा जायगा तो कन्सीडर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शिवनाथसिंह।

रींगस-उदयपुरवाटी सड़क

966. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(2) रींगस से उदयपुर वाटी जाने वाली सड़क का कितने मील का टुकड़ा

Page No. 11

(श्री शिवनाथ सिंह)

भोजपुरा रलावता के पास बिना सड़क बने पड़ा हुआ है ? तथा कितने साल से है?

(2) सड़क का यह टुकड़ा किन कारणों से नहीं बनाया जा रहा है। तथा इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(3) यह अपूर्ण टुकड़ा कितने समय में बन जाने की सम्भावना है ?

(4) रींगस से उदयपुर वाटी तक डामर का काम कब तक हो जाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) 3 मील का टुकड़ा वर्ष 1960 से अधूरा है।

(2) भूमि प्राप्त नहीं हुई है जिसकी अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(3) भूमि अवाप्त होने पर एक साल की अवधि में बन जाने की सम्भावना है।

(4) कार्य प्रगति पर हैं, आशा है चतुर्थ योजना में पूर्ण हो जावेगी।

शिवनाथसिंह : भूमि–अवाप्ति की कार्यवाही किस स्टेज पर चल रही है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर के पास में इस वक्त है।

श्री शिवनाथ सिंह : भूमि–अवाप्ति की कार्यवाही कब शुरू की गई ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसको काफी 4.5 साल का अर्सा हो गया है।

श्री शिवनाथसिंह : 5.4 साल से कार्यवाही किस नतीजे पर पहुंची ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कार्यवाही नतीजे पर नहीं पहुंची। पेंडिंग पड़ी हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में।

श्री शिवनाथसिंह : इतना अर्सा हो गया और आप 3 मील का टुकड़ा भी अवाप्त नहीं कर सके, यह बड़ी ढिलाई है आपके डिपार्टमेंट की।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ढिलाई तो जाहिर है। ढिलाई नहीं हुई होती तो अब तक बन जाता।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऐसे मामलों में उनको अन्तरिम मुआवजा मिल जाना चाहिए। ऐसे मामले कई बार यहां पर आये हैं और उन पर व्यवस्था हो चुकी है। कई साल लग जाते हैं।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : रेस्पान्सिबिलिटी डाल कर कार्यवाही करें।

श्री शिवनाथसिंह : पूरी सड़क 80 मील की बन चुकी है और चार मील के लिए सड़क पड़ी हुई है। सरकार कब तक पूरा करने का आश्वासन देती है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बाकी की सड़क जो है वह सब बन चुकी है। चार

(अमीनुद्दीन अहमद)

मील बनना बाकी है। वह भी जल्द खत्म होने वाली है। यह टुकड़ा चूंकि जमीन हासिल नहीं हो सकी है और कार्यवाही हो रही है, और यह मैं विश्वास दे सकता हूं कि ज्योंही जमीन मिल जायगी एक्वायर होकर यह चीज भी बन जायगी।

प्रश्न संख्या 967

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल बुरासिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल !

स्कालरशिप की राशि

968. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राज्य में इस समय शिक्षा विभाग द्वारा कितने छात्र छात्राओं को स्कालरशिप दी जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि इस समय दी जाने वाली स्कालरशिप की निर्धारित राशि छात्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए कम है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): 1) राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा 1966–67 में 7,479 छात्र–वृत्तियां दी गईं।

(2) जी हां, राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए छात्र–वृत्ति की निर्धारित राशि को बढ़ाना सम्भव नहीं है।

श्री श्रवणलाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि छात्रवृत्ति की रकम छात्रों की संख्या को देखते हुए कम है?

राव श्री धीरसिंह : यह तो मैंने बताया है कि संख्या को देखते हुए कम है।

जब बजट में प्रावधान कम है तो उसको बढ़ाना पासीबल नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो के बच्चों को छात्र–वृति के लिए राष्ट्रपति शासन के समय की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं जिनको आपने छात्र–वृत्तियां नहीं दी हैं?

राव श्री धीरसिंह : किस साल की दरख्वास्तें थीं?

श्री देवीदत्त गाड़िया : 68 की।

राव श्री धीरसिंह : जो छात्रवृत्तियां दी गई हैं उनके डिटेल्स मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसके अन्दर मेरिट स्कालरशिप जो दी गई है वह 2350 हैं।

Scholarships to physically handicapped: 52, wards of deceased Government servants: 75, Wards of personnel in armed

(राव श्री वीरसिंह)

forces: 11, Research scholarships 7, Scholar ships for specialised courses: 7, Merit-cu-mneed scholarships: 1508. Scholarships to children of political sufferers: 259. Extreme poverty scholarships: 2522, Scholarships to students offering Sanskrit as Optional subject: 100, Stipend of Rs. 25 to those girl students who have executed bonds to serve as teachers: 109, Grant to girl students for purchase of stationery and books: 674, Scholarships to scheduled caste students: 1310, scholar ships to wards of low-income group persons: 389, national scholar ships: 436, national scholarships to wards of •primary and secondary teachers: 48, national loan scholarships: 1328.

आइटम नं० 12, 13 व 14 इसमें शामिल नहीं हैं जो मैंने टोटल नम्बर बताया है।

श्री श्रवण लाल : जिस समय राष्ट्रपति का शासन था राजस्थान में उस समय जिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों की स्कालरशिप के लिये जो दरख्वास्तें दी गई थीं उन दरख्वास्तों पर कोई अमल किसी प्रकार का नहीं हुआ और वे दुबारा दरख्वास्तें नहीं दे सके उस कारण से वे छात्रवृत्ति से वंचित रह गये....

राव श्री धीर सिंह : लो पेड इनकम ग्रुप में आते हैं उसके अन्दर दरख्वास्तें जिनकी थीं उनको कन्सीडर कर लिया गया और जितना बजट में प्रावधान था उतना उनको दे दिया गया है।

श्री श्रवण लाल : क्या जो बच्चे रह गये हैं जिनकी एप्लीकेशन्स राष्ट्रपति शासन के समय दी गई थी और वे आशा लगाये बैठे थे कि उनको एप्लीकेशन्स पर छात्र-वृत्ति मिल जायगी तो ऐसे जो बच्चे रह गये हैं, क्या उनके लिए सरकार दुबारा एप्लीकेशन लेकर छात्रवृत्ति दिलायेगी ?

राव श्री धीर सिंह : इस समय छात्रवृत्तियों के लिए प्रावधान 66-67 के लिए 95 हजार का रखा गया था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप किस चीज का उत्तर दे रहे हैं ? प्रश्न यह है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को स्कालरशिप के प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति शासन काल में जो दिये गये हैं, वह जो पेश हुए हैं उनको छात्र-वृत्ति अभी तक नहीं दी गई है उनके लिए क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि उनके प्रार्थना पत्रों को निकलवाकर उनको छात्रवृत्ति देंगे ?

राव श्री धीर सिंह : इस साल जो प्रावधान है लो पेड इनकम वालों के लिए वह उनको दे दिया गया है। जो उसमें नहीं आ

(राव श्री धीरसिंह)

सके हैं उनको अगले साल कन्सीडर कर सकेंगे । किसी फोर्थ क्लास वाले को नहीं मिला हो तो अगले साल देखेंगे । लो पेड इनकम ग्रुप में जो ले गये हैं जिनके केसेज को ले सकते हैं उनको कन्सीडरेशन में लिया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपने बच्चों को स्कालरशिप मिले इस निमित्त दरख्वास्त दी थी और वह पीरियड जब दरख्वास्त दी थी वह था जिस समय राजस्थान के अन्दर राष्ट्रपति का शासन था । वे दरख्वास्तें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं, और राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात् और भी दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन जिन्होंने पहले दरख्वास्तें दी थीं वे दुबारा दरख्वास्तें नहीं दे पाये इसका नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रपति शासन में जिन की दरख्वास्तें आ गई थीं वे वहीं की वहीं पैंडिंग हैं और उनका डिस्पोजल नहीं हुआ है और वे नई एप्लीकेशन्स नहीं दे पाये हैं, तो क्या सरकार उनके केसेज जिन्होंने राष्ट्रपति शासन में दरख्वास्तें दी थीं दुबारा कन्सीडर करके स्कालरशिप दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

राव श्री धीर सिंह : जो स्कालरशिप्स दी गई हैं वे सब को कन्सीडर करके राष्ट्रपति शासन में जो एप्लीकेशन्स आई और जो बाद में आई उनको कन्सीडर करके दी गई। उनको एमाउन्ट के अनुपात से दिया गया । उनके बाद जो रह गये हैं उनको फिर अगले कन्सीडर करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हीराभाई ।

श्री श्रवण लाल : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे की बजट में प्रावधान में कमी होने के कारण इस प्रकार से ज्यादा छात्रवृत्तियां नहीं दे पाये तो क्या इस प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं कि जो छात्र आगे पढ़ना चाहते हैं और योग्य हैं लेकिन धानाभाव के कारण वंचित रह रहे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से इन्तजाम किया जायगा ?

राव श्री धीर सिंह : यह बहुत बड़ी समस्या है । बच्चे इतने ज्यादा पैदा होते हैं कि उसके मुताबिक एडमीशन करना मुश्किल हो रहा है । आप छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं जब कि एडमीशन ही नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हीराभाई !

अणास नदी पर पुल का निर्माण

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या जिला बांसवाड़ा दोहद रोड़ के बीच मे अणास नदी का पुल टूट जाने पर दूसरे पुल का निर्माण कार्य चालू किया गया था ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुल का निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है ? अगर हां, तो कितना बाकी है और क्यों ?

(श्री हीराभाई)

(3) क्या सरकार इस पुल के लिए निश्चित अवधि तय कर इसका निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद)- (1) जी हां, दिनांक 15-11-1965 से कार्य आरम्भ हुआ है।

(2) जी हां, लगभग 40 प्र. श. कार्य बाकी है असामयिक वर्षा से कार्य की मंद गति होने के कारण ।

(3) जी हां, आशा है यह पुल 68-69 तक पूरा हो जायगा ।

श्री हीरा भाई : क्या मूल पूरा करने के लिए कोई अवधि रखी है ? क्या यह 1968-69 तक बन जायगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं जब आकर दौरा करूंगा और पुल को देखूंगा तब सही बता दूंगा कि कब तक खत्म हो जायगा ?

श्री हीरा भाई : तारीख तो बता दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : तारीख भी बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्वयं माननीय मन्त्री जी दौरा करने वाले हैं और स्वयं आपसे मिलने वाले हैं। तब पुल देख लेंगे ।

श्री हीरा भाई : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इसमें इतना समय क्यों लगा ? कम से कम यदि कोई कठिनाई हो तो वह बतावें । कम से कम यह तो बतावें कि 65 से यह चला आ रहा है तो इतने टाइम मे, ऐसा कितना बड़ा यह पुल है, जो पूरा नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह भी मौका मुलाहिजा करके आपको वहां बता देंगे ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी बात होगी तो मुश्किल हो जायगी । मौके से तो प्रेम का नाता ज्यादा रहता है ।

श्री अध्यक्ष : आप दौरा करेंगे Assurance is assurance.

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल - (बयाना) यह अन्याय न करें ।

श्री हीराभाई : क्या मन्त्री महोदय सबसे पहले उधर दौरा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह तो दौरा मन्सूख फर्मा देंगे ।

श्री हीरा भाई : दौरा होगा तो दौरे पर दो दो लाख रुपया खर्च कर देते हैं एक टाइम पर जब सुखाड़िया साहब दौरा करते हैं लेकिन आदिवासी इलाके में पुल दस साल से टूटा हुआ पड़ा रहे । अब वर्षा आयेगी तो उनका रास्ता बन्द हो जायगा । यह सरकार को महसूस करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री हीरा भाई : सरकार का जो रवैया है उसके प्रति हम खेद प्रकट करते हैं।

श्री श्रवण लाल : सवाल मेन इस बात का है कि माननीय मन्त्री जी ने दौरा नहीं किया तो क्या यह पुल अधूरा पड़ा रहेगा ?

श्री केशरी सिंह हाडा (हिन्डोली) : अवश्य करेंगे। पहले कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि दौरा न करें।

श्री हीरा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वासन चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। नेक्स्ट !

श्री हीरा भाई : माननीय मन्त्री जी दौरा करने जायेंगे तो इनका दौरा कब होगा ? प्रोग्राम बन गया है या नहीं बना है ?

श्री अध्यक्ष : प्रोग्राम आपको बतला देंगे।

श्री हीरा भाई : क्या पांच साल में दौरा कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अभी आन द स्पॉट आपको कैसे बतलायें !

अमीनुद्दीन अहमद : पुल फिर भी बनेगा, दौरा हो या न हो।

श्री हीरा भाई : मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हीरा भाई-विभाग द्वारा काम चलाया जा रहा है इसका कान्ट्रेक्ट दे दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री हीरा भाई : विभाग के द्वारा काम चलाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरा भाई : अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह का पुल है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। हीरा भाई, इतना तो कर दिया फिर भी आप नहीं मान रहे हैं।

श्री हीराभाई : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा काम चल रहा है और ठेकेदार को ठेका दिया जा चुका है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा प्रश्न लिया जा चुका है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पुल बनेगा। जल्दी से जल्दी बनेगा।

श्री हीरा भाई : आप कैसा स्वागत करते हैं यह तो आपके भाषणों से ही पता लगता है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, राजाखेड़ा का भवन

970. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि राजाखेड़ा के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के भवन का निर्माण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब ये कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

उप मंत्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह) : जी नहीं। यह कार्य इस वर्ष में ही पूरा होने की आशा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भवन के निर्माण के लिए दो तीन ठेकेदार लगाये गये हैं लेकिन वह बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं और काम पूरा नहीं हुआ है। और भवन का अब तक जो निर्माण हुआ है वह बरसात में टूट कर गिर जायगा। इसलिए इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान देवें।

राव श्री धीरसिंह : इसमें चिकित्सा विभाग की ज्यादा लापरवाही नहीं है। यह जो कुछ कार्य है, यह पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा किया जाना है। चिकित्सा विभाग ने उनको कई रिमाइन्डर दिये हैं, आप चाहेंगे तो मैं रिमाइन्डर बता दूं।

एक माननीय सदस्य : यह तो मन्त्री महोदय की कमजोरी का द्योतक है।

राव श्री धीरसिंह : मैं रिमाइन्डर्स बता सकता हूं। हम फिर लिखेंगे।

श्री अध्यक्ष : कह दीजिये पी. डब्ल्यू. डी. को सख्ती से।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय की अपनी कमजोरी है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मन्त्री महोदय ने जवाबदारी से बचने के लिए निर्माण मन्त्री की लापरवाही बता दी। उन्होंने यह कहा कि यह जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की नहीं है निर्माण विभाग की है।

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : लापरवाही कहीं तो है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : यह लिख देंगे मुझको।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क !

(प्रश्न संख्या 971)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, अतः नेक्स्ट पन्द्रह दिन की मोहलत और प्रदान करें।

श्री भैरोंसिंह : पूरा माह कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप तीन महीने का मांग लीजिये सीधा सा।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : टाइप का जोर पड़ता है, महकमा जल्दी भेज देगा ।

श्री अध्यक्ष : Postponed for fifteen days.

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय के उत्तर से सदन को सन्तोष नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वही है जो नियमित कई दिनों से इस विधान सभा के अन्दर चल रहा है। इस पर कल भी डिबेट हुई है और पहले भी चर्चा हो चुकी है। सरकार ने स्वयं आंकड़े देकर अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश की है। समझ में नहीं आता कि वह अधूरे तथ्य थे या कारण है कि मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं हैं। इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिबेट हो चुकी है तो फिर क्या जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा की जा चुकी है तो प्रश्न भी अब समाप्त हो, इस पर दो घण्टे की डिबेट भी हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : आपका फर्माना वाजिब है लेकिन सरकार ने उत्तर दिया है उससे हमें सन्तोष नहीं है। इसलिए जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन रखा गया है उसका उत्तर दिलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, माननीय सदस्य ! इसलिए ही स्थगित किया है कि आपको सन्तोष हो ।

श्री भैरोंसिंह : यह मानकर चलें कि जो उत्तर दिया गया था वह अपूर्ण था। अपूर्ण जानकारी थी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! अभी मजबूरी है, मन्त्री महोदय कुछ कह नहीं पायेंगे ।

श्री रामचन्द्र आर्य !

कस्बा नोहर में हायर सेकेन्डरी स्कूल

972. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या कस्बा नोहर के सेकेन्डरी स्कूल को इस वर्ष हायर सेकेन्डरी में परिवर्तित करने का प्रावधान है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा के लिहाज से तहसील नोहर जिला श्री गंगानगर में बिल्कुल पिछड़ी हुई है ?

(4) तहसील नोहर में कुल कितने ग्राम हैं और उनमें स्कूल कितने हैं ?

(5) क्या यह सही है कि एक दूसरे गांव का फासला 6 से 8 मील तक की दूरी पर है ?

(6) यदि हां, तो बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से हो सकती है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (1) जी नहीं ।

(राव श्री धीरसिंह)

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) तहसील नोहर में 162 ग्राम हैं और 106 शालाएं हैं।

(5) जी हां। कुछ गांवों की।

(6) नौहर समिति में स्कूलों की संख्या को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत का होना विभागीय जानकारी में नहीं लाया गया है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : इस तहसील के अन्दर आपने जो गांवों की संख्या बताई है और स्कूलों की संख्या बताई है इससे स्पष्ट है कि गांव ज्यादा हैं और स्कूल कम हैं। गांवों की दूरी तीन कोस से लेकर चार कोस तक है एवरेज और करीब दस गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक स्कूल नहीं है जिनमें पांच सौ की आबादी है। डेढ़ सौ की आबादी है, उनमें भी स्कूल नहीं है और आप कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है।

राव श्री धीरसिंह : जो पोजीशन है वह मैंने आपके सामने बता दी। यह डिफीकल्टी आपने बताई तो जब नये स्कूल खोलने के लिए प्रावधान रखा जायगा तो इस बात को देखा जायगा। वहां कोई डिफीकल्टी है तो वह हम कन्सीडर करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : प्रावधान है या नहीं—यह सवाल नहीं है। आप कहते हैं कि यह इलाका पिछड़ा हुआ नहीं है शिक्षा में, आप यह भी कहते हैं कि यहां ठीक व्यवस्था है शिक्षा की। तो एक तरफ तो स्थिति यह है कि डेढ़ सौ से पांच सौ की आबादी के गांवों में स्कूल नहीं हैं और चार मील से आठ मील तक की दूरी के गांवों में स्कूल नहीं है तो फिर व्यवस्था क्या हुई ?

राव श्री धीरसिंह : यह स्थिति आज उत्पन्न नहीं हुई है काफी अर्से से होगी और जब स्कूल खोले गये उस वक्त इस पर विचार किया होगा। इस साल प्रावधान नहीं है जब प्रावधान रखा जायगा तो इस स्थिति को विचार कर लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : कब रखा जायगा यह आश्वासन दें।

राव श्री धीरसिंह : यह फंड उपलब्ध होने पर निर्भर है। ज्यों ही फंड उपलब्ध होंगे, यह रखा जायगा।

श्री दौलतराम सारण : यदि पंचायत अपनी आय से स्कूल खोलना चाहे तो क्या आप स्वीकृति देंगे ?

राव श्री धीरसिंह : पंचायत समिति अपनी ओर से स्कूल खोलना चाहे तो हमें क्या आपत्ति है ?

श्री दौलतराम सारण : आपका विभाग नहीं देता स्वीकृति। अपनी ओर से पंचायत समिति को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं

(श्री दौलतराम सारण)

और दूसरी तरफ सिंगल टीचर पंचायत समिति चलाये, मान लीजिये कि उस स्कूल में दो तीन या चार टीचर हैं तो एक टीचर लेकर स्कूल खोलते हैं तो विभाग इजाजत नहीं देता है।

राव श्री धीरसिंह : ऐसा मामला है तो उसको मेरे और राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें।

श्री दौलतराम सारण : इससे अधिक उपयुक्त जगह प्रस्तुत करने की और कौनसी हो सकती है। यहां मैं आपको कह रहा हूं।

राव श्री धीरसिंह : कितने लड़के हैं, क्या स्थिति है उस पर विचार करके कर सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं बता रहा हूं कि डेढ़ सौ की आबादी से पांच सौ की आबादी वाले गांवों में स्कूल नहीं है और चार मील से आठ मील की दूरी में स्कूल नहीं है। आप कहते हैं कि आपके पास फंड नहीं है तो पंचायत समिति अपनी आय से स्कूल खोलना चाहती है तो उसको आप स्वीकृति देंगे या नहीं? दूसरा प्रश्न यह है कि जिस स्कूल में तीन चार टीचर्स हैं उसमें से एक कम करके कोई शाखा स्कूल खोलना चाहे पंचायत समिति तो उसको आप अनुमति देंगे या नहीं? यह दो प्रश्न हैं।

राव श्री धीरसिंह : पंचायत समिति अपना प्रस्ताव भिजवाये कि वहां स्कूल खोलना चाहती है।

श्री दौलतराम सारण : पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेज रखा है लेकिन आपका विभाग अनुमति नहीं देता है इसलिए कह रहा हूं।

राव श्री धीरसिंह : इस प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है। आपका दूसरा प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : आपकी नीति क्या है इस बारे में—मैं यह जानना चाहता हूं। पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेज रखा है।

श्री अध्यक्ष : 973.

श्री दौलतराम सारण : यह महत्वपूर्ण मामला है। इस इलाके की बराबर मांग हो रही है और पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास करके भेजे हैं। वर्षों से इसकी मांग करते आ रहे हैं कि इस तरह स्कूल खोलने की इजाजत दे दी जाय।

(श्री अमीनुद्दीन, सार्वजनिक निर्माण मंत्री आगे के प्रश्नोत्तर के दौरान प्रश्न का उत्तर देते रहे।)

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले की जांच की जाय और सही व्यवस्था की जाय। यह बच्चों के जीवन का प्रश्न है, वहां पर पढ़ाई का प्रबन्ध नहीं है तो वहां बच्चों को कैसे लाभ पहुंचेगा।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं करें कृपया!

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी जांच की जाय और अगले सत्र तक इसकी जानकारी कर ली जाय।

Page No. 21

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इस स्कूल के बारे में कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी. वापिस उत्तर दीजिये ।

(प्रश्न संख्या 973)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है अत: निवेदन है कि 7 दिन की मोहलत और प्रदान की जाय । 14 दिन से 7 दिन कर दी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाडिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, तामीरात कर ली गई हैं, एन्क्रोचमेंट कर लिया है, सड़क के नजदीक मकान बना लिया है, न म्युनिसिपैलिटी एक्शन ले रही है और न पी. डब्ल्यू. डी. एक्शन ले रही है और नतीजा यह हुआ है कि सड़क पर आना जाना अवरुद्ध हो गया है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तो आधा तीतर, आधा बटेर हो गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाडिया !

चेचक आदि बीमारी से शाहबाद तहसील में मृत्यु

974. **श्री देवीदत्त गाड़िया** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शाहबाद तहसील में गत आठ माह में किस किस गांव में किस किस रोग से कितने कितने बच्चे व आदमी मर गए ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम देवरी नानेरा, खटका शाहबाद राजपुर आदि ग्रामों में कुछ माह पूर्व चेचक महामारी आदि से करीब 150-200 बच्चों की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो किस किस माह में कितने कितने बच्चे किस किस गांव में मरे ?

(3) क्या सरकार ने उक्त महामारी की रोकथाम के लिए तत्काल कोई कदम उठाया था ? यदि हां, तो क्या ?

उप मंत्री चिकित्सा (राव श्री धीर सिंह) : (1) शाहबाद तहसील के कुछ गांवों में गत आठ माह में चेचक की बीमारी हुई । इन गांवों की सूची चेचक के मरीजों व मृत्यु संख्या सहित संलग्न है । शाहबाद तहसील के गांवों में किसी अन्य छूत के रोग से मरने वालों की सूचना इस विभाग को नहीं मिली ।

(2) जी नहीं । केवल निम्न ग्रामों में चेचक से हुई मृत्यु की संख्या निम्न प्रकार हैं :-

क्र	नाम गांव	अक्टूबर	फरवरी 67	मार्च 67
1	देवरी	–	1	3
2	नानेरा	–	–	15
3	राजपुर	5	–	–

Page No. 22

(राव श्री धीरसिंह)

(3) जी हां। शाहबाद तहसील क्षेत्र में चेचक की महामारी की सूचना प्राप्त होते ही उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाये गए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा ने स्वास्थ्य निरीक्षकों व टीकाकारों के साथ बीमारी से प्रभावित ग्रामों का दौरा किया और शीघ्र ही इन गांवों में जो व्यक्ति टीका लगाने से बच गये थे उनको टीका लगाने का कार्य किया गया। इस प्रकार बीमारी पर काबू पा लिया गया। बीमारी से प्रभावित गांवो में 1012 प्राथमिक व 7455 पुनः टीके लगाये गए।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो कि टीके लगाने गये, कौनसी तारीख को टीके लगाने वाली पार्टी गई और कितने रोज तक टीके लगाये ?

राव श्री धीरसिंह : यह डिटेल्स मेरे पास इस समय नहीं है। शाहबाद क्षेत्र में अक्टूबर 66 से मई 67 की अवधि में चेचक के टीके लगाये गये हैं उनकी डिटेल्स दे सकता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जैसे वे बता रहे हैं इतने टीके लगाये, मैं निवेदन कर रहा हूं कि टीके लगाने वालों ने टीके लगाना कौनसी तारीख से शुरू किया ?

राव श्री धीरसिंह : तारीख तो नहीं, आपने पीरियड़ पूछा है, उसी पीरियड़ में पहली बार 1012 और दूसरी बार दुबारा 7455 टीके उसी पीरियड़ में लगाये जब महामारी फैली थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मन्त्री महोदय गलत सूचना दे रहे हैं, यह महामारी फैली उससे देवरी में 100 बच्चे मरे हैं, इसी प्रकार दूसरे गांवों में मरे हैं। महामारी ज्यादा फैली तब उसके बाद टीके लगाने वाली पार्टी गई।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है कि बीमारी फैल गई उसके बाद टीके लगे ?

राव श्री धीरसिंह : पहले टीके लगा दिये गये थे, पर कुछ लोग टीके नहीं लगवाते हैं, बीमारी फैली तो दूसरी बार सब के टीके लगाये। पहले टीके लगाये थे पर कुछ लोगों ने टीके नहीं लगाये थे, बीमारी आई तो फिर दुबारा और लगा दिये गये।

श्री देवीदत्त गाडिया : इसलिये तो पूछना चाहता हूं कि पहले टीके कौनसी तारीख को लगाने शुरू किये ?

श्री अध्यक्ष : नहीं है, जानकारी।

राव श्री धीरसिंह : डेट चाहेंगे तो और जानकारी करके बता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पहली बार टीके लगा दिये थे तो सरकार को यह जानकारी तो मिल गई थी कि यह बीमारी वहां फैल गई है........

Page No. 23

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : चेचक की बीमारी गुजिश्ता साल में आल इन्डिया में बहुत एक्स्टेन्सिव तौर पर चली है और एपेडेमिक फार्म में चली है। यहीं की बात नहीं हर गांव में बच्चों के टीके लगाते हैं। जहां जहां बीमारी शुरू हुई एक फेज्ड प्रोग्राम बनाया और जो साधन उपलब्ध थे सब जगह पार्टीज को भेज कर टीके लगवाये गये। पहली बार जिन लोगों ने टीके नहीं लगाये थे दूसरी बार उनके भी टीके लगाये गये और जिन के पहले लगाये थे उनके भी दुबारा लगाये गये।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने प्रश्न किया है कि चेचक आदि बीमारियों से कितने बच्चे मरे। मन्त्री महोदय ने केवल चेचक का जवाब दिया है, और बीमारियों से जो मरे उस बारे में जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : चेचक आदि। न इसमें आप स्पष्ट रहे हैं न ये स्पष्ट रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : में स्पष्ट करता हूं। देवरी ग्राम जिसकी आबादी 12 सौ 1300 है, उसमें लाल बुखार और पेचिश से 100 बच्चे मरे हैं, इसी प्रकार राजपुरा में मरे हैं। मंत्री महोदय ने नानेरा ग्राम में मृतकों की संख्या एक लिस्ट में 15 बताई है और दूसरी लिस्ट में 2 बताई है, तो इस प्रकार दोनों लिस्टों के अन्दर विरोधाभास है। मेरी समझ मे नहीं आता कि मन्त्री महोदय इस तरह की गलत और परस्पर विरोधी सूचना कैसे देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी दे दें।

राव श्री धीरसिंह : देवरी में 3 बताये हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : नानेरा में एक लिस्ट में 15 बताते हैं और दूसरी लिस्ट में दो बताये हैं।

राव श्री धीरसिंह : नानेरा में 15 है।

श्री देवीदत्त गाडिया : दूसरी लिस्ट में न० 26 पर 2 है।

राव श्री धीरसिंह : यह छपने से रह गया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : छापा तो है 2।

राव श्री धीरसिंह : 15 छपना चाहिये था।

श्री देवीदत्त गाडिया : इससे तो चेचक की बीमारी से मरने वालों की संख्या और बढ़ती है।

राव श्री धीरसिंह : 15 से भी ज्यादा है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : आपके जो ये मरने वालों के आंकड़े हैं, ये गलत हैं। दूसरे लाल बुखार और पेचिश से अकेले देवरी गांव में 15 दिनों में 100 बच्चे मरे हैं, इसकी जानकारी विभाग ने नहीं दी है।

राव श्री धीरसिंह : जो आंकड़े विभाग के पास में हैं वह दिये हैं, हो सकता है आपके पास और जानकारी हो, विभाग के पास जो जानकारी है वह बता दी। और फेक्ट्स आप बतायेंगे, और बीमारी से भी मृत्यु हो सकती है, गलत रिपोर्ट की है तो जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि वह जनसंघ क्षेत्र है इसलिये बीमारी को नहीं रोका गया, बीमारी से बच्चों को मरने दिया ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या मंत्री महोदय यह नहीं जानते कि चेचक की बीमारी के पश्चात् टीके लगाना बेकार है। टीके लगाना इन बीमारियों को फैलने मे रोकने के लिये प्रिवेन्टिव मेजर है। एपेडेमिक फोर्म में स्माल पोक्स, चिकन पोक्स फैल जाती हैं तो उसके पश्चात् टीके लगाना बेकार है। प्रश्न कर्ता की तरफ से इसीलिये टीके लगाने की तारीख पूछी गई है, तारीख नहीं बता सकते तो प्रिवेन्टिव मेजर्स कैसे ले सकते हैं। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि जहां पर भी यह टीके लगाने की व्यवस्था की जाय प्रिवेन्टिव मेजर के रूप में की जाय। एपेडेमिक रूप में स्माल पोक्स फैल जाय तो टीके लगाना चाहिये पर एक नीति के अनुसार सिद्धान्त के अनुसार टीके लगाने वालों को प्रिवेन्टिव मेजर के रूप में टीके लगाते रहना चाहिये। तारीख भी आप नहीं बता सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास : विरोधी दल के नेता ने बातें कही, बिल्कुल सही हैं। स्माल पोक्स, मलेरिया, बी० सी० जी० ट्रिकोमा के लिये नेशनल प्रोग्राम है और साल भर के 365 दिन ही गावों में वैक्सिनेटर्स जाते हैं टीके लगाते हैं, उसके बावजूद भी एपेडेमिक फार्म में, वह बीमारी सारे देश में आई है। मेडिकल एक्स्पर्ट्स की ओपिनियन है कि इस साल भी इस बीमारी के फैलने का खतरा है। जहां यह बीमारी आती है वहां प्रिवेन्टिव मेजर्स तो हर गांव में लेते हैं, हर गांव में वेक्सिनेटर्स जाते हैं पर आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बच्चों के टीके नहीं लगवाते हैं। हर प्राइमरी हैल्थ सेंटर में वेक्सिनेटर रहते हैं, फिर भी लोग बच्चों के टीके नहीं लगवाते हैं, इस क्षेत्र में भी टीके लगाये गये हैं जैसे कि आपको फीगर्स दिये गये पहली बार में 1012 और दूसरी बार में 7455 टीके लगाये गये हैं। पहली बार में जिन लोगों ने टीके नहीं लगवाये थे उनके दूसरी बार में टीके लगाये और जिनके पहली बार में टीके लगवाये थे उनके भी दूसरी बार में टीके लगाये गये ताकि बीमारी का असर उन पर नहीं पड़े।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : शाहबाद तहसील के गांवों में, इन गांवों में चेचक की बीमारी आई वहां बीमारी आने से पहले टीके लग चुके थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, पहली बार में 1012 और दूसरी बार में 7455 टीके लगाये गये हैं।

श्री हीराभाई : कोई आपकी लिमिट....

श्री अध्यक्ष : 975 ।

श्री हीराभाई : यह तो बतायें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री हीराभाई : मैं पूछना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : दूसरे कई प्रश्न हैं ।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री हीराभाई : थोड़ा समझायें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष मैं जानना चाहता हूं कि क्या हर साल....

श्री अध्यक्ष : माननीय हीराभाई, मैं आपका नाम ले रहा हूं, आर्डर प्लीज ।

(श्री हीराभाई के बैठने पर) अच्छा मालूम नहीं होता हीराभाई ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : व्यवस्था का सवाल है । मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि सदन की कार्यवाही को रेग्यूलेट करने का तो आपका अधिकार है । साथ ही हम अगर कोई भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं करें तो निश्चित तौर से हम अपनी परिधि से बाहर जाते हैं, परन्तु जिस तरीके से हमको पूरी की पूरी आवाज में दबाने की प्रक्रिया चलती है, खुदा-न-खास्ता हममें भी इससे चौगुनी आवाज़ होती तो इधर से भी ऐसा ही होता तो टग-आफ-वार की स्थिति की नौबत आ जाती ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह जो बात उठाई....

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह तो माननीय सदस्य ने अव्यवस्था का सवाल उठाया ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन माननीय सदस्य समझ रहे थे कि वहां कुछ....वहां....अच्छा मालूम नहीं होता । अब बहुत सवाल बाकी हैं ।

श्री दौलतराम सारण : ज्यादा जोर से बोलने में डर लगता है ।

श्री अध्यक्ष : चेयर इज आन इट्स लेग्स ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : इससे सदन की गरिमा खत्म होती है तो प्रेम और सौहार्द खतम होता है ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रेम और स्नेह का सवाल नहीं है, यह मान्यताओं का सवाल नहीं है । सद्भावनाओं का सवाल है जिसमें स्नेह और प्रेम नहीं आते हैं । मैं केवल निवेदन कर रहा था कि आज का जो कार्य है वह बहुत ज्यादा है और माननीय सदस्य जो प्रश्न उठा रहे थे, वह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण था मैं नहीं समझ सकता और मैं तो समझता

(श्री अध्यक्ष)

था कि सदन इस पर सहयोग देगा कि डिस-ग्रारडरली कन्डक्ट न हो। ग्रापने प्रश्न उठाया, ऐसी स्थिति में ग्रावाज उग्र नहीं होता है, ग्रावाज सिर्फ माननीय सदस्य को ग्रवगत कराने के लिए होती है।

श्री भैरोंसिंह : ग्रावाज भी बनावटी होती है।

श्री ग्रध्यक्ष : तब तो पाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठता ही नहीं।

श्री शंकरलाल !

जोधपुर-जयपुर रूट पर बस दुर्घटना।

975. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या यातायात मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 9-6-67 को रात्रि के करीब ग्यारह बजे बाद दूदू से जयपुर ग्राते वक्त जोधपुर-जयपुर रूट की रोडवेज बस की दुर्घटना हुई ?

(2) क्या यह सही है कि इस दुर्घटना में ड्राइवर ग्रौर दूसरी ट्रक के खलासी की मृत्यु हो गई ?

(3) इस दुर्घटना के क्या कारण रहे ग्रौर इससे किस किस की कितनी क्षति हुई ?

(4) सरकार ऐसी दुर्घटनाग्रों को भविष्य में कभी न होने देने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

यातायात मंत्री (श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) निगम की बस का चालक तेज रफ्तार से चला रहा था ग्रौर उसे नींद ग्रा जाने के कारण दुर्घटना हुई। बस के ड्राइवर व ट्रक के खलासी की मृत्यु के ग्रलावा 22 यात्रियों के ज्यादा चोट ग्राई व 7-8 यात्रियों को मामूली चोट ग्राई। निगम की बस का करीब 8000)रू. का नुकसान हुग्रा।

(4) निगम ने ग्रपने ग्रधीनस्थ कर्म-चारियों को ग्रादेश दिए हैं कि वे भविष्य में पूर्ण सतर्क रहें ग्रौर चालकों को बाध्य करें कि वे तेज रफ्तार से गाड़ियों को न चलावें तथा ग्रादेश के उल्लंघन करने पर संबंधित चालकों के विरुद्ध ग्रावश्यक ग्रनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि रात को दुर्घटना होने की सूचना पहुंचने के बाद भी घायल ग्रादमियों को सुबह तक नहीं ले जाया गया ?

श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद : खबर पहुंचने के बाद जल्दी से जल्दी उनको ले जाने की कोशिश की गई।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि खबर रात को पहुंचाई गई ग्रौर सुबह तक उनको लाने की व्यवस्था नहीं की गई। यह सही है या नहीं ?

श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद : मैंने ग्रापसे ग्रर्ज किया कि खबर पहुँचने पर जो

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

कार्यवाही हो सकी जल्दी से जल्दी की गई, यह जरूर है कि अगर उसमें देरी हुई तो वह काबिले अफसोस है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि उस बस का ड्राइवर शराब पिया हुआ था, इस प्रकार की शिकायत यात्रियों ने की है कि वह शराब पिया हुआ था।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि शराब पिया हुआ था। यह जरूर रिपोर्ट थी कि वह थका हुआ था और बहुत दूर से चला आ रहा था।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार इस प्रकार के आदेश जारी करेगी कि बसों के ड्राइवर जो हैं वे कभी शराब पीकर बसों में नहीं चला करें जिससे दुर्घटनाएं न हों?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह उसूल है फिर भी हिदायतें और भी जिम्मेदारी से की जायगीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार मृत और घायल व्यक्तियों को मुआवजा देने का विचार रखती हैं?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ड्राइवर की फैमिली को मुआवजा दिया गया है और दूसरे जो मर गए हैं उनको काम्पेन्सेशन देने का मामला भी विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो व्यक्ति घायल हुए हैं, मैंने देखे हैं; बहुत ही उनकी हालत खराब है। क्या ऐसे घायल व्यक्तियों को भी मुआवजा दे रहे हैं?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : विचार तो पहले रोडवेज को करना पड़ेगा क्योंकि वह आटोनोमस बाडी है और उसके बाद जब सरकार के ध्यान में बात आएगी कि उन्होंने क्या किया या नहीं किया, बाद में सरकार उस तरफ ध्यान देगी।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ) : जोधपुर से जयपुर पहुंचने में कितने घन्टे लगते हैं? जोधपुर से जब बस रवाना होती है तो रास्ते मे ड्राइवर बदलता है या नहीं। अगर नहीं बदलता है तो क्या एक ड्राइवर के लिए संभव है कि इतने घन्टों तक वह गाड़ी चला सके?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसूल सब बने हुए हैं। अमल हुआ या नहीं, यह अलग बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसका काम्प्रीहैन्सिव इन्श्योरेंस होता है। क्या यह सही हे कि रोडवेज बसेज का काम्प्रीहैन्सिव इन्श्योरेन्स कराया जाता है?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मुआवजा दिया है?

श्री केसरीसिह हाडा (हिन्डौली) : बसों का इन्श्योरेन्स होता है?

श्री रामकिशन (वैर) : ड्राइवरों को हिदायतें दे रखी हैं कि शराब पीकर गाड़ियां नहीं चलायें?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कानून है।

श्री रामकिशन (वैर) : तो यह कानून गैरंटी सिस्टम के खिलाफ नहीं पड़ता अगर उनका शराब पीना बन्द करेंगे तो फिर बिक्री शराब भी कैसे होगी ?

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डौली) : काम्प्रीहैन्सिव आपकी सब बसों का होता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिल्कुल सम्बद्ध है।

श्री अध्यक्ष : ऐसे थोड़ी सी भी इन्डीकेशन होती तो मैं एलाउ करता।

श्री पृथ्वी सिंह (बाली) : जो बसें चलती है, क्या वे डिफेक्टिव है ? मेरी जानकारी के अनुसार जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है वह जब जोधपुर से रवाना हुई तो बब्लिग कर रही थी और बहक रही थी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इन्क्वायरी की रिपोर्ट जब आएगी तो पता चलेगा कि क्या डिफेक्ट था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : घायलों को मुआवजा देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कोई खास ऐसी पालिसी इस समय नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वर्कमैन काम्पेन्सेशन एक्ट के तहत सरकार को उसकी तनख्वाह के अनुपात में लाजमी तौर से मुआवजा देना होता है। तो बजाय वे लेबर कोर्ट में दावा करें, सरकार उनको डाइरेक्टिली मुआवजा क्यों नहीं देती ? 500) थोड़ा दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): राशि $7\frac{1}{2}$ व 12 हजार की होगी।

श्री अध्यक्ष : यह लॉ का सवाल है, जिसका सवाल नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नीति का सवाल है। आदमी घायल हो जायं......

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मैं जानकारी लेना चाहता हूं। जो ड्राइवर जोधपुर से गाड़ी चला रहा था उसने अजमेर डिपो मैनेजर से आकर कहा था कि मुझे नींद आरही है, मैं आगे चलने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन ड्राइवर को कम्पेल किया गया। ड्राइवर ने कहा था कि मैं इस हालत में नहीं हूं कि जयपुर इस गाड़ी को ले जाऊं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह बात सही है कि उसको कम्पेल किया गया ?

(12 मध्यान्ह)

क्या यह बात ठीक है ?

श्री अमीनुद्दीन अहदम: यह इन्कावायरी की जा रही है। अभी मेरी नजर से गुजरा नहीं है।

श्री शकरलाल : क्या सरकार ने यह भी जांच कराई घायलों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिये या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कौन जिम्मेदार था और आइन्दा क्या इन्तजाम किया जावेगा, यह इस पर मुनहसर है।

श्री विजयसिंह रावत: ट्रक के मालिक के खिलाफ मुकद्दमा दायर किया है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: यह अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह रावत : नहीं अध्यक्ष महोदय यह इससे ताल्लुक रखता है। नहीं देंगे तो लोग दावा कर देंगे।

बालिका माध्यमिक पाठशाला नवलगढ़

श्री सांवरमल बासोतिया : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) नवलगढ़ मे बालिका माध्यमिक पाठशाला कब से प्रारम्भ हुई ? इस पाठशाला का नाम क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाठशाला के लिए भवन नवलगढ़ के एक सेठ द्वारा गर्ल्स हाई स्कूल प्रारम्भ करने के लिए सरकार को कुछ शर्तो पर प्रदान किया गया था ?

(3) क्या अन्य शर्तों के साथ यह भी एक शर्त थी कि स्कूल का नाम भवन प्रदानकर्त्ता की माता के नाम पर रखा जावेगा ? यदि हां, तो अब तक उनके नाम की प्लेट क्यों नहीं लगाई गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन में बिजली, पानी का प्रबन्ध भवन प्रदानकर्त्ता की ओर से है ?

(5) उक्त भवन का बिल्ट एवं अनबिल्ट क्षेत्रफल क्या है और इस भवन का मूल्य क्या आंका गया है ?

(6). क्या सरकार भवन प्रदानकर्त्ता की शर्त के अनुसार उक्त पाठशाला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

उप शिक्षा मन्त्री (राव श्री वीरसिंह): (1) सन् 1959 से इसका नाम कन्या माध्यमिक शाला है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। लेकिन दानदाता द्वारा अभी तक दानपत्र की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है।

(4) जी हां।

(5) इस भवन का बना हुआ भाग 14208 वर्ग फीट व खुला भाग 22250 वर्ग फीट है तथा भवन की कीमत करीब एक लाख है।

(6) धनाभाव के कारण इस साल उन्नत करना सम्भव नहीं है।

तहसील छीपा बड़ोद में यातायात की व्यवस्था

977. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** :(छबड़ा) क्या यातायात मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की छीपा बड़ौद तहसील में सड़क यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ?

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(2) क्या यह सही है कि जितने परमिट बस मालिकों को साल पुरा से मनोहरथाना वाया इकेरा तथा सालपुरा से मनोहरथाना वाया बन्जारी तथा सालपुरा से छीपाबड़ौद के जारी है उन पर पूरी बसें नहीं चलती हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या सरकार उन बसों का परमिट कैन्सिल करने का विचार कर रही है जो बसें लाइनों पर बराबर नहीं चलती हैं तथा और अच्छी व्यवस्था का भी विचार रखती है ?

(4) क्या जिन लोगों ने बसों के परमिट राज्य सरकार से प्राप्त कर बेच दिये हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): (1) यह सही है कि क्योंकि जिन लोगों को बस के परमिट दिये गये हैं वे भली प्रकार बस नहीं चला रहे हैं ।

(2) जी हां, पूरी बसें नहीं चलती हैं । बसें पूरी न चलने पर उन पर जुर्माने किये गये हैं ।

(3) मामला आर. टी. ए. के समक्ष विचाराधीन है ।

(4) बसों के परमिट बेचे जाने की कोई जानकारी विभाग को नहीं है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि छीपा बड़ौद और सालपुरा बस रुट पर जितनी बसें हैं अधिकतर बसों के परमिट बस मालिकों ने दूसरों के हाथ बेच दिये हैं और अफसोस है सरकार जवाब देती है कि उसे पता ही नहीं है ।

श्री अमीनुद्दीन : आप ज्यादा जानकारी दे देंगे तो सरकार जरूर जानकारी करेगी ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं मन्त्रीजी से रोज रोज मिलता हूं और रोज रोज जानकारी देता रहता हूं अब प्रश्न किया लिखित में तो भी टालमटोल जवाब मिलता है ।

श्री अमीनुद्दीन : मैं भी माननीय सदस्य से कहता रहता हूं कि आप लिखित में दीजिये ताकि हवाला उसका दे सकं ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं लिखकर देने की बात तो ग्राम पंचायत और पचायत समिति ने लगभग 100 तख्वास्तें लिखकर दी हैं । आर टी ओ को लिखा है । पर वह इसलिये एक्शन नहीं लेता कि उससे दस हजार रुपया वहां के मोटर मालिकों से पिछले इलेक्शन के दौरान आर. टी. ए. ने लिये हैं । उसका पैसा बन्धा हुआ है । इसलिए एक्शन नहीं लेना चाहता ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : यह अहम सवाल है । कम्प्लेन्ट होती है और ट्रान्सपोर्ट विभाग मोटर मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता । एक बच्चे की मृत्यु हो गई । बस में से एक लड़का नीचे गिर पड़ा । तब भी फिटनेस इस्यू कर देते हैं और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

100) प्रति बस के हिसाब से फिटनैस के लेते हैं। कितनी शर्म की बात है और आप कहते हैं कि शिकायत नहीं है।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : बच्चा गिर कर मर गया बस की खराबी के कारण क्या सरकार की यह जानकारी में है?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस रूट पर कितनी बसों को परमिट इश्यू हैं ?

सालपुरा से मनोहर थाना वाया इकलेरा

सालपुरा से मनोहर थाना वाया बनजारी

व सालपुरा से छीपा बड़ौद

इन तीन रूटों पर कितनी बसों को परमिट आपके यहां से जारी हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : चार बसों को।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तीन पर चार बसें हैं।

यह जानकारी आपकी गलत है।

क्या वे नियमित चलते हैं ?

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : करीब करीब आठ नौ बसें पास हैं इन रूटों पर पर बस मालिकों ने यह हालत कर रखी है कि कभी कभी दो बसें आ जाती हैं नहीं तो एक ही चलती है। अब वहां से कम से कम रोज 200 सवारियों का आना जाना रहता है। अब एक बस में 200 सवारी किस तरह से बैठेंगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विट्ठल प्रसाद।

झालावाड़ जिले में नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट के नाम से खाद्य पदार्थों के लाइसेन्स होल्डरों से ली गई धनराशि

978. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) झालावाड जिले में खाद्य पदार्थों के कितने लाइसेन्स दिये हुए हैं ?

(2) क्या सन् 62 लगायत सन् 65 तक जो लाइसेन्सों के लिये फीस लाइसेन्स जमा हुआ उसके साथ साथ क्या नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट के नाम से भी कोई धनराशि लाइसेन्स होल्डरों से ली जाती रही है ?

(3) क्या यह सही है कि लोगों को नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट आज तक नहीं मिल सके हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट की जो रसीदें ट्रेजरी झालावाड़ द्वारा हास्पिटल झालावाड़ को अथवा उसके किसी क्लर्क को दी गई थीं वह रसीदें ही गायब हो गईं ?

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(5) क्या विभाग ने कभी इसकी जांच भी कराई थी ? यदि कराई है तो उसका क्या परिणाम रहा ?

राव श्री धीरसिंह : (1) झालावाड़ जिले में दिनाक 31-12-66 तक 1561 खाद्य पदार्थ लाइसेन्स हैं।

(2) लाइसेन्स फीस के साथ नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट के नाम से धनराशि लेने के कोई आदेश नहीं हैं। जिलाधीश झालावाड़ ने श्री इन्द्र सरन सक्सेना कनिष्ठ लेखक व श्री निरंजननाथ सक्सेना व. लेखक (जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड को ओथोराइज्ड एजेन्ट नियुक्ति किया था कुछ नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट फूड लाइसेन्स होल्डरों तथा अन्य लोगों को बेचने की सूचना जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ ने दी है

101 नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट दर 10 प्रति

15 नेशनल सेविंग सर्फीफिकेट दर 5) प्रति

ये सर्टीफिकेट होल्डरो व अन्य लोगों के पूरे पते न होने के कारण नहीं भेजे जा सके हैं जिसके लिये कार्यवाही जारी है।

(3) जी हां। सन् 1958-59 के 101 नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट 10) प्रति व 15 नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट हैं जो खरीददारों का ठीक पता न होने के कारण नहीं भेजे गये।

(4) जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के वरिष्ठ लेखक एन. एन. सक्सेना को ट्रेजरी झालावाड़ से दो रसीद की कापियां 6-9-60 को दी गई थी जो सितम्बर 65 तक वापिस नहीं लौटाई गई जिसकी डिपार्टमेंट एन्क्वायरी के आदेश दिनांक 18-7-67 को जारी हो चुके हैं

(5) विभागीय जांच कराने के आदेश दिये गये हैं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : जब आप यह फरमाते हैं कोई आदेश नहीं थे तो इनसे कैसे लिये गये ?

राव श्री धीरसिंह : वैसे अधिकार नहीं था। पर सरकार की पालिसी है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेचे जाएं और सेविंग की प्रवत्ति पैदा की जावे लोगों में। इसलिये यह एक्टीविटी है।

अब इसमें गलती सिर्फ यह रही कि सर्टिफिकेट दिये क्यों नहीं गये। इसकी जांच करवा रहे हैं। इसे एन्टी करप्शन को भी देंगे।

खरीदना कोई गलत बात नहीं थी। वह तो सरकार बिकवाती है लोगों में सेविंग की आदत को डालने के लिये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : उनको एजेन्सी का कमीशन मिलता है क्या ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : फोर्सफुली किसी से लिया जावे और थोपा जावे यह क्या उचित होगा ?

राव श्री धीरसिंह : जो सर्टिफीकेट दिया गया है वह लाइसेन्स की कीमत के अनुसार दिया जावे ऐसी कोई बात नहीं है, वह चाहे जितना खरीद सकता है। वैसे खरीदते नहीं हैं। जब भी मौका मिलता है किसी तरह से भी सेविंग की तरफ आदत पड़े लोगों की इसका प्रयत्न करती है। इसमें अनुपात लाइसेन्स फीस से या लाइसेन्स से कतई नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह आप मजबूर करते हैं। क्या यह कम्पलसरी सेविंग सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था है ?

राव श्री धीरसिंह : उनको इस बात के लिये फोर्स नहीं किया जाता। जो लाईसेन्स बनाने आते हैं, उन पर हम कोई नैतिक प्रेशर नहीं डालते यह उन लोगों के लिये है जो यह काम करते हैं। सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने से कोई गवर्नमेंट को लाभ नहीं होता है। यह तो उन लोगों के फायदे के लिये है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सेविंग की मनोवृत्ति एक हद तक बुरी नहीं है लेकिन सरकार के द्वारा पीक आफ कौहर्सन का एक्सरसाईज किया जाय, उसको दबाव देकर कहा जाय कि नेशनल सैविंग सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो यह हो जायगा, वह हो जायगा। मेरे ख्याल से यह व्यवस्था ठीक नहीं हैं। जहां तक मुझे मालूम है यह व्यवस्था अच्छी नहीं है। यह हमारे फन्डामैन्टल राइट्स आफ सीटीजन के विपरीत है।

गृहमंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये एक अर्ज कर दूं। विरोधी दल के नेता ने जो बात कही है मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिये दो क्लर्क ऐजेन्ट मुकर्रर कर दिये गये थे। ये सर्टिफिकेट लोगों को समझा बुझाकर ही खरीदवाये जाते हैं। इस तरह के सरकारी मुलाजिम भी एजेन्ट हैं और गैर सरकारी लोग भी ऐजेन्ट हैं। लोगों को सेविंग सर्टिफिकेट्स के पूरे एडवान्टेज बताये जाते हैं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि लाईसेन्स होल्डर्स को ही दिये जाय। ये सर्टिफिकेट्स उन लोगों को दिये जाते हैं जो अपना रुपया इसमें इन्वेस्ट करें।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री महोदय इसको डिनाई करेंगे और उनको डिनाई करना चाहिये। लेकिन वास्तविक रूप से यह स्थिति नहीं है, जो मत्री महोदय कहते हैं। अब ये रक्षा कोष में सोना लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें लोगों पर तरह तरह के दबाव डाल रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि कम्पलसरी सेविंग लेने की व्यवस्था सीक्रेटली अन्डर है। इस पर मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी : On a point of information Sir, मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक आप महारावल साहब को विरोधी दल के नेता के रूप में पुकारते थे लेकिन आज स्वतन्त्र पार्टी के नेता के नाम से पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं बाद में बता दूंगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : विरोधी पक्ष के नेता को संयुक्त दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान कर दी ? अब इसमें कोई हेरफेर किया गया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : इस व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्नों के बाद में स्पष्टीकरण कर दूंगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर ऐसी व्यवस्था दी है, तो उसकी सूचना हमें नहीं मिली । इसका निराकरण होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : कल सदन में शायद आप नहीं थे ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपकी व्यवस्था यह थी कि यह विचारणीय प्रश्न है । व्यवस्था आपकी ओर से नहीं दी गई थी ।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं प्रकाश डाल दूंगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह हार्ट बर्निंग है । मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के विरोध में नहीं हूं लेकिन जब रजिस्ट्री करानी पड़ती है तो वह रजिस्ट्री जितनी लम्बी होती है उतने ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदना जरूरी हो जाता है । उसमें कुछ सौदा तय हो जाता है तो कम कर देते हैं इसकी या तो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड रेट हो जाय कि इतनी रजिस्ट्री पर इतना परसेन्ट और इतनी रजिस्ट्री पर इतना परसेन्ट सेविंग सर्टिफिकेट लेना जरूरी है या फिर उसकी मरजी पर छोड़ दिया जाय । इससे बारगेनिंग होता है चीटिंग होता है ।

एक माननीय सदस्य : (एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इसके विरोध में मैं नहीं हूं लेकिन जो प्रेक्टिस गवनमेंट की है, उसके अनुसार कर्मचारियों या अधिकारीयों को उसमें इन्ट्रेस्ट हो जाता है और इसका शिकार गरीब से गरीब आदमी बनता है । उसको ठगने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों फंक्शन्स मान्य नहीं है चाहे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को जिनको इस तरह के एक्जीक्यूटिव पावर्स हैं इस प्रकार की कार्यवाही न करें । ऐसा कोई गवर्नमेंट आदेश कर दे इस प्रकार का आश्वासन दें ।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न 829 श्री विजयसिंह रावत

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-7-67)

बड़ा खेड़ा व काबरा के हैड मास्टरों के चुनाव में सक्रिय भाग लेने के विरुद्ध शिकायतें

829 **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की

(श्री विजयसिंह रावत)

कृपा करेंगे --

(1) क्या यह बात सही है कि दिसम्बर सन् 1966 तथा जनवरी, 1967 में शिक्षा निरीक्षक, अजमेर को यह शिकायत की गई थी कि श्री मूलसिंह हैड मास्टर माध्यमिक शाला, बड़ाखेड़ा और श्री पूनसिंह हैड मास्टर, माध्यमिक शाला, काबरा चुनाव प्रचार में सक्रिय भाग ले रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जाय ?

(2) यदि हां, तो उन अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (1) जी हां।

(2) मामले की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जायगी।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : यह अब तक जांच क्यों नहीं कराई गई ?

उप मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): यह जांच शिकायत पेश हुई उसी वक्त कराई जानी चाहिये थी। शिकायत पेश हुई, उसकी जांच क्यों नहीं हुई इसका जवाब तलब किया जा रहा है।

श्री फतेहसिंह : यह शिकायत कब आई थी ?

राव श्री धीरसिंह : यह निरीक्षक के पास शिकायत पेश हुई थी, चुनाव के समय पेश हुई थी। यह शिकायत आपने जो बताई है वह दिसम्बर 66 और जनवरी 67 के बीच इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास पेश हुई थी और उनको जांच करवानी चाहिये थी। हम उनसे पूछ रहे हैं कि यह जांच क्यों नहीं कराई गई। हमने इस बारे में उनको एक्स-प्लेनेशन देने के लिये लिख दिया है।

श्री फतेहसिंह : अब तक जांच नहीं की उसके क्या कारण है ?

राव श्री धीरसिंह : अगर जांच कर देते तो अब तक रिजल्ट ही आ जाता।

श्री फतेहसिंह : जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

राव श्री धीरसिंह : जांच शिकायत पेश हुई, उसी वक्त करनी चाहिये उन्होंने नहीं की, इसलिये अब उनसे कह रहे हैं कि इसकी जांच करें।

श्री फतेहसिंह : जांच करने में देरी हुई, इसके क्या कारण हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : जांच अधिकारी कौन है, किसके द्वारा यह जांच कराई जा रही है। आप उसके लिये क्या एक्शन ले रहे हैं ?

राव श्री धीरसिंह : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास यह शिकायत पेश हुई थी। उनको जांच करवानी चाहिये थी। अब उनको जांच करने के लिये कह दिया गया है। एक्शन लेने के लिये हमने अलग से पत्र लिखा है कि वे अपना एक्सप्लेनेशन इस सम्बन्ध में जल्दी दें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): यह शिकायत कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कराने के बारे में है ?

राव श्री धीरसिंह : यह देखने से पता लग सकता है ।

श्री नत्थी सिंह : यह आपने देखी ही नहीं ।

राव श्री धीरसिंह : किसी भी केन्डीडेट के पक्ष में प्रचार कर सकते हैं । मेरे पास यहां शिकायत पत्र तो है नहीं ।

श्री फतेहसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत मैंने की है । 6 दिसम्बर को । ब्यावर से चुनाव मैं भी लड़ रहा था । जिस वक्त शिकायत की गई 6 दिसम्बर को उस समय बड़ा खेड़ा में हैडमास्टर मूलसिंह था और काबरा में हैडमास्टर श्री पूनासिंह था । उन दिनों वे वहां सर्विस कर रहे थे ।

राव श्री धीरसिंह : यह सब कुछ जांच होने के बाद मालूम होगा । जांच अभी नहीं हुई है । जांच के लिये इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को कहा जा रहा है ।

श्री नत्थीसिंह : अब प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि अगले चुनावों से पहले वह जांच पूरी हो जायगी ?

राव श्री धीरसिंह : जल्दी से जल्दी पूरी हो जायगी ।

श्री फतेहसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सबसे पहले मैंने कटौती प्रस्तावों के समय पूछा था, बजट के दौरान में भी यह प्रश्न पूछा था । उस समय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था कि हम जल्दी ही कार्यवाही कर जवाब देंगे तो आज तक यह क्यों नहीं जवाब आया । अभी तक मन्त्री महोदय को मालूम ही नहीं है कि कौन तो मूलसिंह है और कौन पूनासिह है, किस किसने चुनावों में भाग लिया, यह सारी डिले इसीलिए तो हो रही है । मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार के आदेशों को कम्प्लायेंस नहीं की, उनके विरुद्ध तो आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? इतने दिन तक आपने सदन को विश्वास देकर धोखे में रखा कि टाईम के अन्दर कर दी जायगी किन्तु अभी तक आपको कोई जानकारी है ही नहीं ऐसा क्यों है ?

राव श्री धीरसिंह : जब आपने पहले प्रश्न पूछा था उस वक्त उसका जवाब सही नहीं आया था तभी तो स्थगित किया गया था । जो रिपोर्ट उनसे मांगी है वह जांच नहीं होने के कारण उन्होंने नहीं भेजी है और जो उनका जवाब आया है कि इस वजह से जांच नहीं हुई है, वह आप सही नहीं समझ रहे हैं । निरीक्षक को एक्सप्लेनेशन देने के लिए आर्डर कर रहे हैं ।

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि भूलसिंह जिस समय शिकायत की थी उस समय किशनगढ़ मिडिल स्कूल में हैडमास्टर था ?

श्री अध्यक्ष : यह सब मन्त्री महोदय के नोटिस में है ।

श्री अध्दक्ष : नेक्स्ट ।

Page No. 37

श्री फतेहसिंह : मैं सोच रहा हूं । 6 दिसम्बर को शिकायत हुई यह हैडमास्टर बिलोरा में था । 19 जनवरी को शिकायत हुई उस वक्त यह बिलोरा में था । लेकिन कार्यवाही नहीं की गई । उसका ट्रान्सफर 25 जनवरी को ब्यावर क्षेत्र के बड़ा खेड़ा में कर दिया ।

राव श्री धीरसिंह : जांच होने पर मालूम पड़ जावेगा ।

श्री फतेह सिंह : आप शिक्षा मंत्री हैं, आप जांच करा नहीं सकते थे अब तक ?

राव श्री धीरसिंह : शिक्षा मंत्री हूं और इसीलिये जवाब दे रहा हूं ।

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री फतेहसिंह : क्या सरकार की ओर से इस प्रकार के आदेश निकाले गये थे कि चुनाव के दिनों में 30 नवम्बर के बाद राज्य कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जावेगा ?

राव श्री धीरसिंह : एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर ट्रान्सफर किये जा सकते हैं । जनरल ट्रान्सफर बन्द थे । आपका उद्देश्य हैं चुनाव प्रचार का उसके लिये मैंने कह दिया । मंत्री को एक एक मास्टर का तो पता नहीं रह सकता ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ।

प्रश्नकर्त्ता ।

श्री फतेहसिंह : यह बहुमत का नकाब है ।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि मूलसिंह प्रधानाध्यापक के खिलाफ अब तक जांच के आदेश नहीं दिये गये हैं ?

राव श्री धीरसिंह : दे दिये हैं । डिले हुई है इसलिये इन्स्पेक्टर से जांच करवा रहे हैं । आदेश दे दिये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन सी तारीख को ?

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ।

माननीय मंत्री महोदय ।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतनी सी जानकारी चाहूंगा कि आदेश कौनसी तारीख को दिये ? शिकायत कर्ता से पूछताछ करने के लिये कोई गया या नहीं ? जांच करने के लिये किस अफसर को नियुक्त किया और कौनसी तारीख को किया ?

राव श्री धीरसिंह : जांच इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को करने के लिये कहा गया । प्रश्न स्थगित ही इसीलिये कराया था,

(श्री धीरसिंह)

उसके एक दो रोज पहले ही ग्रोर्डर कर दिये थे। स्थगित ही इसीलिये कराया था कि सही रिपोर्ट ग्रा जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक मिनिट ग्रध्यक्ष महोदय, । जांच कराने के बावजूद इन्सपेक्टर को पुन: ग्रादेश देंगे कि जांच करके रिपोर्ट पेश करे ?

राव श्री धीरसिंह : ग्रादेश दे दिये गये हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

चुनाव मन्त्री।

श्री फतहसिंह : कौन सी तारीख को दिये ?

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज़।

ग्रोर्डर प्लीज़।

श्री फतहसिंह : प्रजातन्त्र खतरे में है फिर।

(शोरगुल) (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौनसी तारीख को....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य, ग्रोर्डर प्लीज़।

(लगातार (व्यवधान) (शोरगुल) (ग्रश्रव्य)

(तीव्र स्वर में) माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। ग्रोर्डर प्लीज़। ग्रोर्डर प्लीज़। ग्रोर्डर ग्रोर्डर)

स्थगित प्रश्न

(14. 7. 67.)

पंचायतों के प्रधान के चुनाव का तरीका

844. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कितनी पंचायत समितियों के प्रधान वर्तमान विधान सभा के सदस्य चुन लिये गये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार उन पंचायत समितियों के प्रधानों के उप चुनाव करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या राज्य सरकार यह ग्रनुभव मो करती है कि प्रधान के चुनाव का तरीका बड़ा कठिन है ? यदि हां, तो क्या इन उप चुनावों को भी उस तरीके से करवाने का विचार है या प्रधान के चुनाव के नियमों में कोई संशोधन लाने का विचार है ?

उपमन्त्री चुनाव (राव श्री धीरसिंह): 16 पंचायत समितियों के प्रधान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

(2,3) यह मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, 981 वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। 981 भी समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर नगर को 'ए' क्लास सिटी की मान्यता

957. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिमी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार अजमेर नगर को 'ए' क्लास सिटी घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं राजस्थान सरकार शहरों का 'ए' 'बी' आदि श्रेणियों में वर्गीकरण नहीं करती।

बदनोर–बिजेनगर सड़क

960. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिला में बदनोर-बिजेनगर सड़क जो अकाल में बनाई गई थी, वो जेतगढ़ पंचायत क्षेत्र (जिला उदयपुर) में पास हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत के सीलोतसागर नामक तालाब के केचमेन्ट में उस सड़क से रुकावट पैदा हो गई है और तालाब न भरने से एक गांव अकाल में आ गया है ?

(3) क्या सरकार उस सड़क पर कल्वर्ट बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बदनोर बिजेनगर रोड इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

ब्यावर–टाड़गढ़ रोड पर बसों का चालान

964. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पिछले छः माह में ब्यावर–टाडगढ़ रोड पर चलने वाली बसों के चालान अधिक सवारियां बैठाने के कारण हुए हैं ? यदि हां, तो किस किस बस के कब कब हुए और उनका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

पिछले छः माह में ब्यावर–टाड़गढ़ रोड पर चलने वाली चार बसों का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 121।112 के अन्तर्गत अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया जो कि न्यायालय में विचाराधीन हैं।

केकड़ी में मर्डर के मामले

967. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

केकड़ी नगर में दिनांक 30 मई, 1966 से अब तक कितने मर्डर के केसेज हुए ? इन मामलों का अब तक पता लगा या नहीं ? इन मामलों के सम्बन्ध में कितने आदमियों की गिरफ्तारियां हुईं ? और कितनों को सजा हुई ?

उत्तर

दिनांक 30 मई, 1966 से अब तक केकड़ी नगर में केवल दो मडर केस हुए। एक हत्या का केस जो जुलाई 66 में हुआ था मुलजिमान का पता पुलिस द्वारा लगा लिया गया था। दो मुलजिम गिरफ्तार हुए थे, जो कि बाद में दोनों ही कोर्ट से बरी कर दिये गये। दूसरे केस का अनुसन्धान जो मई 67 में हुआ था अभी पूरा हुआ है और इस केस में अब तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है।

जन संघ दल के नेता, सचेतक व मन्त्री

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विधान सभा में जनसंघ को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा मेरे द्वारा कल सदन में की जा चुकी है। माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि जो सूची जनसंघ दल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार :

(1) श्री भैरोंसिंह शेखावत दल के नेता

(2) श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल दल के सचेतक, तथा

(3) श्री देवीदत्त गाडिया दल के मंत्री हैं।

(12. 26 म. प.)

जन लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के सभापति की नियुक्ति

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 183 (1) के अन्तर्गत मैंने जनलेखा समिति 1967-68 के लिये श्री पुखराज कालानी को तथा प्राक्कलन समिति, 1967-68 के लिए श्रीमती प्रभा मिश्रा को सभापति नियुक्त किया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं जनलेखा समिति की सदस्यता से त्याग पत्र प्रस्तुत करता हूं और इस रूप में करता हूं कि जो व्यक्ति अोपोजिशन से फ्लोर क्रास करके गया हो और पोलिटकली करप्ट हो, अध्यक्ष को भी इस में ड्रेग किया गया हो उसको पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का सभापति बनाया जाय। मैं इसीलिए अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ड्रेग नहीं किया गया है।

श्री फतेहसिंह : माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा मैं भी उनकी भावना का अनुमोदन करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजा खेड़ा) : आप स्तीफा दे रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की 1965-66 की टिप्पणियां सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री रामकिशन (वैर) : क्वश्चन आवर के बाद मध्य प्रदेश सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि एक एक मिनिट में हो जावेगें । वैसे मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं ।

श्री रामकिशन : यह तो सब फिजूल है ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री हरजी राम बुरड़क ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय मैं नियमों की ओर आपका ध्यान दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि क्वश्चन आवर के बाद जिस मोशन का नोटिस दिया हुआ है उसको आपको लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं उसको ले रहा हूं । याचिकाओं का उपस्थापन हो जाय । आई एम कोन्शियस अबाउट देट इश्यू ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको बाद में लिया जा सकता है ।

(व्यवधान) (शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

थोड़ा रिलेक्सेशन करने का अधिकार आसन को है । आप उस पर ज्यादा इनसिस्ट न करें ।

येस । श्री हरजी राम बुरड़क ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुखदेव जनाना अस्पताल, लाडनू में डाक्टर के स्थान पर अशिक्षित कम्पाउन्डर द्वारा इलाज किये जाने सम्बन्धी विषय पर एक याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो घोषणा की गई है जन लेखा समिति के चेयरमेन के सम्बन्ध में, रूल्स ओफ प्रोसिजर में यह बात सही है कि अध्यक्ष महोमय को पूर्ण अधिकार है कि किसको वे चेयरमेन नियुक्त करें । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी नहीं होगी कि जिस माननीय सदस्य को आपने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का चेयरमेन बनाया है उसके खिलाफ 420 का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और ऐसे 420 आदमी को आपके द्वारा जनलेखा समिति का चेयर-मेन बनाया जाय यह उचित नहीं हैं....

(शोरगुल), (व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : He has not been Charge sheeted । कोई आदमी मुकदमा कर सकता है ।

(श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, श्री विजयसिंह द्वारा साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : ऐसे 420 का जिस पर केश चल रहा हो आप के द्वारा उसको पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का सभापति बनाया जाय ।

(व्यवधान; शोरगुल के बीच)

विरोधी पक्ष उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता । यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है । उसके खिलाफ है ।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

गरिमा मैं भी समझ रहा हूं ।

(शोरगुल व व्यवधान होने पर)

आॅर्डर प्लीज । आॅर्डर प्लीज ।

श्री पी. के चौधरी ने सूचित किया है Kindly accept my resignation from the membership of the Public Accounts Committee.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री देवीदत्त गाडिया,

श्री विजय सिंह आदि (एक साथ) : डूब मरो, डूब मरो । अब तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये ।

(शोरगुल) (हंगामा)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब को स्तीफा दे देना चाहिये । हमको ऐसी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में नहीं रहना चाहिये ।

(व्यवधान, हंगामे के बीच)

श्री देवीदत्त गाडिया : हम हाउस की गरिमा को नहीं गिरने देंगे ।

श्री विजय सिंह रावत : हम ऐसी कमेटी में नहीं रहना चाहेंगे ।

श्री श्रवण लाल : जनतन्त्र की हत्या करते हो । हम ऐसा नहीं करने देंगे ।

(भयंकर शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : विधान सभा की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस के सदस्यों की भी है और वे अपनी इस जिम्मेदारी को निभायें लेकिन....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य इतने उग्र न हों ।

(दोनों तरफ से कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर जोर जोर से बोलते रहे– बिल्कुल अश्रव्य)

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस व्यक्ति की नियुक्ति जो पी. ए. सी. के चेयरमैन के लिए की गई है वह सदस्यों के गुण अवगुण देखकर की है या शासक दल के इशारे पर की है....

(भयकर शोरगुल-अश्रव्य)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह नियुक्ति अध्यक्ष महोदय ने अपनी मर्जी से की है, सयस्यों के गुण अवगुण देख कर की है, उनकी योग्यता देखकर की है या शासक दल के इशारे पर की है।

(शोरगोल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनतांत्रिक परम्पराएं टूट रही हैं। राजस्थान के अन्दर जनतंत्र टूट रहा है....

(दोनों तरफ के सदस्य खड़े होकर बोलते रहे)

(भयकर शोरगुल) (बिल्कुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसे भ्रष्टाचार के मामले जहां पर हो रहे हों और उसके अन्दर शासन भी इस भ्रष्टाचार के अन्दर शामिल हो....

(भयंकर शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : यहां प्रश्न यह नहीं है कि विरोधी दल के सदस्य को पी. ए. सी. का चेयरमैन बनाया जाता है या किसी और को बनाया जाता है। लोक सभा में भी स्वतंत्र पार्टी के मीनू मसानी को पी. ए. सी. का चैयरमैन बनाया गया है। यही बात यहां पर भी हो सकती थी लेकिन इसके विपरीत जो आदमी फ्लोर क्रोस करे, जिसके खिलाफ आरोप हों भ्रष्टाचार के, ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाय राजस्थान में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का और वह भी मुख्य मंत्री के इशारे पर बनाया जाय, इसको यह सदन कभी सहन नहीं करेगा....

(शोरगुल प्रारम्भ-दोनों तरफ से मेजें पीटना शुरू)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) माननीय अध्यक्ष जी...

(विपक्ष द्वारा मेजें पीटना जारी)

(मुख्य मंत्री जी की बात-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर।

(दोनों तरफ से मेजें पीटते रहे)

(बिल्कुल अश्रव्य)

(कुछ सदस्य दोनों तरफ के खड़े होकर बोलते रहे)

(मुख्य मंत्री जी बैठ गये)

श्री रामकिशन : जो बात इस समय....

(राजकीय पक्ष द्वारा मेजें पीटना जारी)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बहुत जोर से) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह म जनतांत्रिक परम्पराओं को मध्य प्रदेश में तोड़ा गया हैं, जनतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में की गई है और उसी तरह से राजस्थान के अन्दर भी किया जा रहा है । हमारे राजस्थान ने बड़ी 2 कुर्बानियां की हैं और (आगे अश्रव्य)

(राजकीय पक्ष की ओर से मेजें पीटना जारी)

अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख का विषय है कि इस तरह से जनतंत्र का जनाजा यहां से उठाया जा रहा है ।

(भयंकर शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर । आर्डर, आर्डर ।

माननीय सदस्य श्री विजयसिंह रावत एवं श्री प्रद्युम्नसिंह दोनों एक दूसरों को सम्बोधित करके कुछ कहते रहे)

(दोनों तरफ से मेजें पीटना जारी-बिल्कुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मिस्टर रावत ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या समझता है अपने आपको ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल बोलने खड़े हुए तो राजकीय पक्ष की ओर से मेजें पीटना जारी)

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करता आपसे...

(भयंकर शोरगुल जारी)

माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें । माननीय सतीशचन्द्र जी आप भी आसन ग्रहण करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्हें (राजकीय पक्ष को) भी कन्ट्रोल करें ।

(राजकीय पक्ष द्वारा मेजें पीटना बन्द)

श्री अध्यक्ष : वे कन्ट्रोल हो गए । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं.......

(विरोधी पक्ष द्वारा मेजें पीटना जारी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

(राजकीय पक्ष द्वारा मेजें पीटना जारी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय...

(विपक्ष की ओर से जोर जोर से मेजें पीटना) जारी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

(दोनों तरफ से अनवरत मेजें पीटना जारी)

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता था कि यह प्रश्न तो हुआ लेकिन आगे भी महत्व पूर्ण प्रश्न है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगे का महत्व पूर्ण होगा....

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न यहां पर है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अपनी लोक सभा के अध्यक्ष ने भी पिछली बार....

(राजकीय पक्ष की ओर से मेजें पीटना जारी)

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजें पीटना जारी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

(अनवरत रूप से मेजें पीटना जारी)

I adjourh the house sinc die.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही शुक्रवार दि० 21-7-67 के अध्यान्ह पश्चात् 12 बजे कर 37 मिनिट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न सं. 974 का उत्तर देखिये)

शाहबाद तहसील में अक्टूबर, 66 से मई 67 का विवरण

क्र० सं०	गांव का नाम	चेचक मरीज सं.	चेचक मृत्यु सं.	टीका प्राथमिक	टीका पुनः टीका	कुल टीका
1-	राजपुरा	47	5	69	641	710
2-	खंडसरोल	43	18	45	983	1028
3-	बीची	29	6	13	210	223
4-	जाखोती	8	6	11	379	390
5-	कस्बा थाना	22	6	179	672	851
6-	वोटा	39	18	9	150	159
7-	गडरोठा	8	1	8	96	103
8-	मोदरा	4	-	12	134	146
9-	बिरसोड खुर्द	3	-	16	361	377
10-	बटवारी	1	-	3	33	36
11-	पीपल खेड़ी	2	-	6	17	23
12-	क्लेनिया	5	1	4	27	31
13-	शाहबाद	1	-	29	423	452
14-	खीरिया	6	3	9	89	98
15-	ममोनी	16	2	19	135	154
16-	समरानिया	5	2	37	368	405
17-	रतिया खुर्द	4	-	13	59	72
18-	दिकवानी	5	4	26	149.	175
19-	आगर	3	1	30	245	275
20-	संदुकारी	8	1	26	170	196

Page No. 47

1	2	3	4	5	6	7
21-	फरिदवा	1	-	15	216	231
22-	देवड़ी	33	4	84	438	522
23-	बामनगांव	1	-	23	144	167
24-	कस्बा कनेड़ा	22	15	261	819	1080
25-	मरोल तलेटी	3	1	11	155	166
26-	बडा नानेरा	2	-	23	144	166
27-	मांजरी	3	3	32	198	230
	योग	357	97	1012	7455	8467

टिप्पणी —1–टीका कार्य केवल चेचक से प्रभावित गांवों के क्षेत्र का ही है ।
2–मई 1967 में चेचक के कोई मरीज की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

———

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोतर)

बारा से छबड़ा, छीपाबड़ौद वाया अटरू बस सर्विस

979. **श्री नन्दलाल** (किशनगज) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–2

(1) क्या यह सही है कि बारा से छबड़ा, छीपाबड़ोद वाया अटरू (जिला कोटा) बस सर्विस रूट था ? यदि हां, तो वह रूट आजकल क्यों बन्द पड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस रूट में अटरू और सालपुरा के बीच रेल्वे बाउन्ड्री में से होकर बस रूट को निकालना पड़ा था ?

(3) क्या यह सत्य है कि रेल्वे ने रेल्वे बाउन्ड्री में से होकर बस को नहीं निकालने दिया ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस रूट पर अटरू और सालपुरा के बीच 9 मील लम्बे मार्ग में एक भी गांव नहीं पड़ता है ? यदि हां, तो इस रूट को अटरू से सालपुरा के बीच केवल 1 मील के फर्क से खेड़ली, बरलां, हान्नीहेड़ा, सींदनी, सालपुरा क्यों नहीं निकाल दिया जाता ?

उत्तर

(1) हां यह सही है । इस रूट पर बसें पूरे मार्ग पर नहीं चलने के कारण व बिल्कुल नहीं चलने के कारण रीजनल ट्रांसपोर्ट ग्रोथोरिटी कोटा ने अपने रेजुलेशन न० 4 दिनांक 23-6-66 द्वारा मन्जूरशुदा पांचों परमिट रद्द कर दिये थे । अतः यह रूट बन्द हैं ।

(2) यह सत्य है ।

(3) इस तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(4) यह सही है । अटरू और सालपुरा के बीच मार्ग परिवर्तन की मांग यदि जनता द्वारा प्राप्त होगी तो विचार के लिये रीजनल ट्रान्सपोर्ट ग्रोथोरिटी के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

सिरोही कालेज में कृषि विषय की शिक्षा

980. **श्री गमा** (आबू-सु.) : क्या शिक्षा-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही विद्यालय में सन् 1957 तक कृषि विषय की शिक्षा इन्टरमीडिएट स्तर की कक्षाओं तक दी जाती थी ?

(2) क्या सिरोही कालेज को 1958 में डिग्री कालेज बना नेने पर कृषि विषय की शिक्षा उच्चतर माध्यमिक शाला में भी बन्द कर दी गई ? यदि हां, तो किस राज्य आदेश के अन्तर्गत यह विषय उच्चतर माध्यमिक शाला से हटाया गया ?

(3) क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि सिरोही बहूद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के पास उसका निजी कृषि फार्म, कृषि औजारों का भंडार व पक्का कुआ है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार कृषि विषय को सिरोही के बहूद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला में इस सत्र सन् 1967 के जुलाई माह से प्रारम्भ करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी हां,

2. इन्टर कालेज, सिरोही सन् 1958 में डिग्री कालेज में परिणत किया गया. फलस्वरूप केवल हाई स्कूल स्तर पर ही प्राथमिक कृषि व मुर्गी पालन (Agricultue & Poultry farming) रह पाये, इसकी परीक्षा की व्यवस्था सन् 1959 से लेकर सन् 1961 तक रही, हाई स्कूल को जुलाई, 1960 में बहूद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया और इसके बाद इस विषय की पढाई की व्यवस्था समाप्त हुई।

3. चालू वित्तीय वर्ष में इसकी संभावना नहीं है फिर से निकट भविष्य में जब भी वित्तीय साधन उपलब्ध हो जायेंगे इस विषय को प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा.

सिटी ट्रान्सपोर्ट बस सर्विस, जयपुर

981. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में व उसके बाहर उसके उपनगरों में चलने वाली सी. टी. एस. की बसें कौन कौन से सन् के मोडल की हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कई बसों की हालत खराब है और उनमें सवारियां आराम से नहीं बैठ सकती हैं ?

(3) क्या यह सच है कि यह बसें हमेंशा ओवरलोड चलती हैं जिससे सवारियों को खड़ा खड़ा चलना पड़ता है ? यदि हां, तो बसो की संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सच है कि कई रास्तों का किराया तो रिक्शों व तांगों के उस रास्ते के किराये से भी ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या किराये के बारे में सरकार की राय नहीं ली जाती है ?

उत्तर

1–इसकी सूची अनुबन्ध–अ–में दर्ज है।

2–जी हां, कुछ खराब थीं और इसलिये उन्हें बदलने की कार्यवाही की जा रही है।

[सार्वजनिक निर्माण मंत्री]

3–जी यह सही नहीं है निर्धारित सवारियों से 10 सवारी तक कुछ बसों में खड़ी चलने की अनुमति आर० टी० ए० द्वारा दी हुई है। बसों की संख्या बढाये जाने का निर्णय भी लिया जा चुका है और फरवरी 1968 तक बसों की संख्या बढा दी जावेगी और 30 बसों का फ्लीट पूरा कर दिया जावेगा।

4–जी यह सही नहीं है। सभी बातों को ध्यान में रखकर किराया निर्धारित किया गया है।

सूची 'अ'

LIST OF C.T.S. BUS SERVICES WITH MODEL

Permit No. 2647

S. No.		Vehicle No.	Model
1.	R S L	2681	1965
2.		3621	1965
3.	,,	4091	1965
4.	,,	4584	1965
5.	,,	541	1966
6.	,,	5011	1966
7.	,,	4586	1966
8.	,,	5231	1966
9.	,,	5171	1966
10.	,,	5601	1966
11.	,,	6011	1966
12.	,,	6067	1966
13.	,,	2047	1967
14.	,,	7254	1967

Permit No. 1925

1.	R J L	5271	1957
2.	,,	4606	1956
3.	,,	3144	1953—54
4.	,,	3794	1955
5.	,,	3145	1953—54

S. No.	Vehicle No.		Model.
6.	,,	3670	1955
7.	,,	4111	1956
8.	,,	9881	1960
9.	,,	7961	1954
10.	,,	6431	1959
11.	,,	9001	1960
12.	,,	9221	1959
13.	,,	9231	1959
14.	R S L	1011	1962

राज्य परिवहन निगम द्वारा नये रूट्स के परमिटों के लिये आवेदन—पत्र

982. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य परिवहन निगम द्वारा 1965–66 व 66–67 में नए रूट्स की परमिटों के लिए आर.टी.ओ., जयपुर, उदयपुर व जोधपुर के पास दरख्वास्तें दी गई थीं ? यदि हां, तो किन किन रूट्स के लिए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि आर. टी ओ. जयपुर, उदयपुर व जोधपुर ने सब दरख्वास्तें नामंजूर करदीं ? यदि हां, तो क्या कारण थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि काफी गाड़ियां पथ निगम के पास पड़ी हुई हैं क्योंकि रूट्स नहीं दिये गए ? यदि हां ता इस समय कुल ऐसी कितनी गाड़ियां है जो डिपोज में बेकार पड़ी हुई हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने जिन जिन मार्गों पर परमिट की दरख्वास्तें आर,टी.ओ., जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के पास पेश कीं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है

(3) 41 बसें ऐसी बतलाई गई हैं।

———

सूची

(प्रश्न संख्या 982 से सम्बन्धित)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जिन जिन मार्गों के लिये दरख्वास्तें पेश की गईं उसकी सूची :—(जयपुर)

(1) बाड़ी–धौलपुर–राजाखेड़ा
(2) जयपुर–गंगापुर–करौली
(3) अलवर–मान्डन
(4) अलवर–भरतपुर
(5) अलवर–मथुरा
(6) जयपुर–सिकन्दरा–गौजगढ़
(7) जयपुर–दौसा–राजगढ़–अलवर
(8) जयपुर–खेतड़ी–कौपर माईन्स
(9) जयपुर–टौंक–उनियारा–सवाईमाधोपुर–पाली।
(10) जयपुर–सीकर–नवलगढ़
(11) शाहपुरा–नीमकाथाना–चिड़ावा–झुंझुनु
(12) अलवर–नहरोड़
(13) भरतपुर–बयाना–बैर–महुवा–जयपुर
(14) बीकानेर–टोडगढ़–भीम
(15) बासेरी–बड़ी–धौलपुर–राजाखेड़ा
(16) जयपुर–सीकर–सुजानगढ़–सरदारशहर रावतसर।
(17) जयपुर–कोटपुतली–देहली
(18) अलवर–झुंझुनु वाया नारनौल
(19) जयपुर–कोटपुतली
(20) देहली–झुंझुनु।

———

सूची

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर द्वारा जिन जिन मार्गों के लिये दरख्वास्तें पेश की हैं उनकी सूची :—

(उदयपुर)

(1) उदयपुर—जयपुर वाया भीम ब्यावर
(2) उदयपुर—बून्दी वाया चितौड़
(3) उदयपुर—जोधपुर वाया सांडेराव
(4) उदयपुर—जयपुर वाया चित्तौड़
(5) डूंगरपुर—रतनपुर
(6) उदयपुर—डूंगरपुर

(जोधपुर)

(7) बीकानेर—जोधपुर
(8) आबूरोड़—रेवदार—अनादरा—सिरोही

शुद्धि – पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 1967)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
5	अन्तिम से 10	झु झुनू	झूंझुनू
8	10	कोवीनेंट	कोवेनेन्ट
21	अन्तिम से 10	अवात	अवाप्त
,,	,, 5	कायवाही	कार्यवाही
23	शीर्ष	अमीनुद्दीनअहमद	श्री अमीनुद्दीन अहमद
25	3	Cu -mneed	Cum-need
26	14	दुवारा	द्वारा
28	7	धानाभाव	धनाभाव
29	13	मूल	पुल
31	अन्तिम से 4	अमीनुद्दीन अहमद	श्री अमीनुद्दीन अहमद
56	,, 6	श्री अमीनुद्दीन अहदम	,,
58	,, 5	बताने कृपा	बताने की कृपा
60	,, 13	तख्वास्तें	दख्वास्तें
64	,, 14	प्रवत्ति	प्रवृत्ति
66	,, 15	मत्री महोदय	मंत्री महोदय
72	अन्तिम पक्ति	श्री अध्यक्ष	+
83	8	केश	केस
90	5	adjourh	adjourn
91	5	प्राथमिक	प्राथमिक टीका